प्रश्नपत्र 7 : प्रत्यक्ष कर कानून

(PAPER 7 : DIRECT TAX LAWS)

वर्किंग नोट उत्तर का भाग होना चाहिए

प्रश्न सं. **1** अनिवार्य है

शेष **छः** प्रश्नों में से किन्हीं **पांच** प्रश्नों के उत्तर देवें

सभी प्रश्न करनिर्धारण वर्ष 2015-16 से संबंधित है जब तक अन्यथा न वर्णित हो।

प्रश्न 1

(a) MNO Corporation LLP दो व्यापार कपड़ा निर्माण तथा शीत श्रृंखला सुविधा के परिचालन को चला रही है। इसने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए निम्न सूचना दी है :

लाभ तथा हानि खाता के अनुसार शुद्ध लाभ :

कपड़ा निर्माण से	₹ 10,25,000
शीत श्रृंखला सुविधा के परिचालन से	₹ 20,50,000

निम्न मदों को लाभ तथा हानि खाता को डेबिट किया :

(i) ₹ 100 लाख की कुल पूँजी पर 15% की दर से साझेदार को भुगतानयोग्य पूँजी पर ब्याज।

(ii) कार्यकारी साझेदार वेतन ₹ 36 लाख (अर्थात् प्रत्येक 3 साझेदार के लिए ₹ 1 लाख)

(iii) कपड़ा फैक्टरी भवन पर ह्रास ₹ 5 लाख।

(iv) कपड़ा व्यापार की प्लांट तथा मशीनरी पर ह्रास ₹ 35 लाख।

(v) कीमेन बीमा पॉलिसी प्रीमियम भुगतान ₹ 1,55,000।

अन्य सूचना :

गत वर्ष 2014–15 के लिए धारा 32 के अन्तर्गत पात्र ह्रास है :

(i) कपड़ा व्यापार की प्लांट तथा मशीनरी ₹ 27 लाख।

(ii) कपड़ा व्यापार से संबंधित कारखाना भवन पर ₹ 4 लाख।

कर निर्धारिती ने 1 अप्रैल 2013 से शीत श्रृंखला सुविधा को स्थापित तथा परिचालन किया। इसने 1 जून 2011 से 31 मार्च 2013 की अवधि के दौरान शीत श्रृंखला सुविधा के निर्माण की तरफ पूँजीगत व्यय किया जो निम्न है :

जमीन की लागत (1 जून 2011 को अधिगृहीत) ₹ 30 लाख

31 मार्च 2013 तक स्थापित भवन तथा मशीनरी के निर्माण की लागत ₹ 50 लाख

© The Institute of Chartered Accountants of India

पेपर 7 के लिए सुझााया उत्तर : प्रत्यक्ष कर कानून प्रत्यक्ष कर कानून के प्रावधान पर आधारित है जिसे वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 द्वारा संशोधित किया। प्रासंगिक करनिर्धारण वर्ष 2015–16 है जो मई 2015 परीक्षा के लागू करनिर्धारण वर्ष है।

गत वर्ष 2013–14 (करनिर्धारण वर्ष 2014–15) के लिए फर्म की आय निम्न हैः

कपड़ा निर्माण से आय ₹ 12 लाख

शीत शृंखला सुविधा से आय ₹ 60 लाख (धारा 35AD के अन्तर्गत कटौती से पूर्व)

फर्म में मूलतः 4 बराबर साझेदार हैं तथा एक साझेदार 31.3.2014 को सेवा निवृत्त हो गया। साझेदारी समझौता वेतन का भुगतान तथा पूँजी पर ब्याज को प्राधिकृत करता है जिसे लाभ तथा हानि खाता को डेबिट किया है।

कर निर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए फर्म की कुल आय की गणना करने का आवेदन किया जाता है।

नोट : धारा 115JC के अन्तर्गत वैकल्पिक न्यूनतम कर की अनदेखी करें। (10 अंक)

(b) धन कर अधिनियम, 1957 के अनुसार 'शहरी जमीन' को स्पष्ट करें। (5 अंक)

(c) संक्षिप्त कारण सहित वर्णित करें क्या धन कर अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत निम्न कथन वैध/अवैध है :

(i) शुद्ध धन का निर्धारण कर निर्धारिती द्वारा अपनाये लेखांकन सिस्टम पर निर्भर है।

(ii) 31.3.2015 को ₹ 1 लाख की बिना रिकॉर्ड नकद फर्म के लिए 'सम्पत्ति' है तथा अतएव इसकी शुद्ध सम्पत्ति में सम्मिलित किया जायेगा।

(iii) श्री Tom ने अपनी पत्नी के साथ अलग रहने के समझौते के तहत उसे खाली जगह को अंतरित किया। खाली स्थान श्री Tom के हाथों में धन कर के लिए दायी है चाहे इसे पत्नी को दे दिया हो।

(iv) धन को छुपाने के लिए दंड को कानूनी प्रतिनिधि पर लगाया जा सकता है यद्यपि कर निर्धारिती पर कार्यवाही की गयी जब वह जीवित था।

(v) श्री लंका में निर्गमित एक कम्पनी भारत में रखी सम्पत्ति के संबंध में धन के लिए दायी है (5 अंक)

उत्तर

(a) करनिर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए MNO Corporation LLP की कुल आय की गणना

विवरण	₹	
व्यापार अथवा व्यवसाय से लाभ तथा अर्जन		
लाभ तथा हानि खाता के अनुसार शुद्ध लाभ		
(₹ 10,25,000 + ₹ 20,50,000)		30,75,000
जोड़े : लाभ तथा हानि खाता को डेबिट मद परन्तु कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं। पृथक् रूप से विचार किया जायेगा		

© The Institute of Chartered Accountants of India

(1)	धारा 40(b) के अन्तर्गत साझेदारों को 12% के आधिक्य में पूंजी पर भुगतानयोग्य ब्याज अस्वीकृत है (₹ 100 लाख × 3%)	3,00,000	
(2)	कार्यशील साझेदार वेतन (पृथक् रूप से विचार किया जायेगा)	36,00,000	
(3)	लेखा पुस्तकों के अनुसार ह्रास (₹ 5 लाख + ₹ 35 लाख) जो कपड़ा व्यापार से संबंधित है	40,00,000	
(4)	कीमेन बीमा प्रीमियम भुगतान (कटौती के रूप में स्वीकार्य है क्योंकि इसे व्यापार के उद्देश्य के लिए पूर्ण तथा एकनिष्ठ रूप से उत्पन्न किया – परिपत्र संख्या 762 दिनांक 18.02.1998)	-	79,00,000
			1,09,75,000
	घटायें: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 के अन्तर्गत ह्रास (कपड़ा व्यापार से संबंधित) (₹ 27 लाख + ₹ 4 लाख)		31,00,000
	पुस्त लाभ		**78,75,000**
	घटायें : कार्यशील साझेदारों को पारिश्रमिक (धारा 40(b) में निर्दिष्ट सीमा के तहत)		
	पुस्त लाभ का प्रथम ₹ 3,00,000 पर — पुस्त लाभ का 90% अथवा ₹ 1,50,000 जो भी अधिक है	2,70,000	
	₹ 75,75,000 का शेष पुस्त लाभ पर (₹78,75,000 – ₹3,00,000) — शेष पुस्त लाभ का 60%	45,45,000	
		48,15,000	
	वास्तविक पारिश्रमिक भुगतान तक सीमित		36,00,000
	शीर्षक व्यापार अथवा व्यवसाय का लाभ तथा अर्जन के अन्तर्गत आय		**42,75,000**
	कपड़ा निर्माणी व्यापार से आय (नोट 5 तथा 6)		20,25,000
	शीत श्रृंखला सुविधा के निर्दिष्ट व्यापार से आय (₹ 42,75,000 – ₹ 20,25,000)	22,50,000	
	घटायें : धारा 73A के अन्तर्गत निर्दिष्ट व्यापार का आगे लाया हानि का सेट ऑफ **(नीचे नोट 1 से 4 देखें)**	11,25,000	11,25,000
	कुल आय		**31,50,000**

© The Institute of Chartered Accountants of India

नोट:

(1) करनिर्धारण वर्ष 2014–15 से संबंधित गत वर्ष 2013–14 के लिए एक शीत शृंखला सुविधा की स्थापना तथा परिचालन की निर्दिष्ट व्यापार की हानि की गणना

विवरण	₹
शीत शृंखला सुविधा से आय (धारा 35AD के अन्तर्गत कटौती से पूर्व)	60,00,000
घटायें : धारा 35AD के अन्तर्गत कटौती (₹ 50,00,000 का 150%) **(देखें नोट 2 तथा 3)**	75,00,000
गत वर्ष 2013–14 के लिए निर्दिष्ट व्यापार की हानि	15,00,000
धारा 73A जिसे धारा 78 के साथ पढ़ा जांच के अनुसार आगे ले जाये जाने वाली हानि [₹ 15,00,000 × 3/4] को बाद के वर्षों की किसी निर्दिष्ट व्यापार के लाभ के विरुद्ध सेट ऑफ किया जायेगा **(नीचे नोट 4 को देखें)**	11,25,000

(2) शीत शृंखला सुविधा की स्थापना तथा परिचालन का निर्दिष्ट व्यापार पूंजीगत व्यय का 150% की दर से भारित कटौती के लिए पात्र होगा यदि परिचालन 1.4.2012 को अथवा उसके पश्चात् आरंभ हुआ है। **[धारा 35AD(1A)]** इस मामले में, क्योंकि परिचालन 1.4.2013 को आरंभ किया, निर्दिष्ट व्यापार पूंजीगत व्यय का 150% की दर से भारित कटौती के लिए योग्य हो जाएगा।

(3) पूंजी प्रकृति का व्यय में यद्यपि, जमीन के अधिगृहण पर उत्पन्न किसी व्यय को सम्मिलित नहीं किया जायेगा **[धारा 35AD(8)(6)]** इसलिए, इस मामले में, भवन पर निर्माण तथा स्थापित मशीनरी पर ₹ 50 लाख की लागत धारा 35AD के अन्तर्गत कटौती के लिए योग्य होगा। यह मानकर कि व्यय को 1.4.2013 (परिचालन की आरंभ होने की तिथि) को लेखा की पुस्तकों में पूंजीगत किया क्योंकि इसे परिचालन के आंरभ होने से पूर्व उत्पन्न किया। **(धारा 35AD(1) का उपबंध)**

(4) धारा 78(1) सेवानिवृत्त अथवा मृतक साझेदार के हिस्सा से संबंधित हानि को आगे ले जाने की आज्ञा नहीं देता। इसलिए, इस मामले में चार साझेदारों में से एक 31.3.2014 को सेवानिवृत्त हो गया, गत वर्ष 2013–14 (करनिर्धारण वर्ष 2014–15) के लिए हानि का उसका हिस्सा (₹ 3,75,000 जो ₹ 15 लाख का 1/4 है) को गत वर्ष 2014–15 के लिए आगे नहीं ले जाया जा सकता। [करनिर्धारण वर्ष 2015–16]।

(5) **कपड़ा निर्माणी व्यापार से लाभ की गणना**

विवरण	₹
व्यापार अथवा व्यवसाय से लाभ तथा हानि	
लाभ तथा हानि खाता के अनुसार शुद्ध लाभ	10,25,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

जोड़े : कपड़ा व्यापार से संबंधित लेखा पुस्तकों के अनुसार ह्रास (₹ 5 लाख + ₹ 35 लाख)	40,00,000
	50,25,000
घटायें : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 के अन्तर्गत ह्रास (कपड़ा व्यापार से संबंधित)	31,00,000
	19,25,000
जोड़े : पूंजी पर ब्याज का ₹ 3,00,1000 अस्वीकृत (लाभ तथा हानि खाता के अनुसार कपड़ा व्यापार तथा निर्दिष्ट व्यापार का शुद्ध लाभ के अनुपात में विभक्त (1 : 2) (₹ 3,00,000 × 1/3) **[नोट 6 को देखें]**	1,00,000
	20,25,000

(6) निर्दिष्ट व्यापार की हानि को निर्दिष्ट व्यापार के लाभ के विरुद्ध अनिश्चित कालीन आगे ले जाया जा सकता है। इसलिए, 'व्यापार अथवा व्यवसाय का लाभ तथा अर्जन' शीर्ष के अन्तर्गत गणना ₹ 42.75 लाख की आय को पृथक् करना आवश्यक हो जाता है, ताकि गत वर्ष 2013–14 से संबंधित निर्दिष्ट व्यापार से आगे लायी हानि को गत वर्ष 2014–15 के निर्दिष्ट व्यापार के लाभ के विरूद्ध सेट ऑफ किया जा सकता है।

इस उद्देश्य के लिए ₹ 42.75 लाख की व्यापार आय में सम्मिलित कपड़ा निर्माणी व्यापार के लाभ की गणना करते हुए, लेखा की पुस्तकों के अनुसार ह्रास को वापस जोड़ा जायेगा तथा आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार ह्रास को कपड़ा व्यापार से संबंधित ₹ 10.25 लाख के शुद्ध लाभ से घटाया जायेगा, क्योंकि ह्रास समायोजन स्पष्ट रूप से कपड़ा व्यापार से संबंधित है।

साझेदारों के पारिश्रमिक के समायोजन का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि समस्त पारिश्रमिक जिसे वापस जोड़ा है स्वीकार्य है क्योंकि यह धारा 40(b)(v) के अनुसार सीमा के अंदर है।

केवल पूंजी पर ब्याज जो ₹ 3 लाख है जिसे व्यापार आय की गणना करते हुए वापस जोड़ा है। को कपड़ा निर्माणी व्यापार तथा निर्दिष्ट व्यापार के मध्य विभक्त किया जायेगा।

समाधान में कपड़ा निर्माणी तथा निर्दिष्ट व्यापार के मध्य 1 : 2 के अनुपात में पूंजी पर ब्याज को आबंटित करके निकाला है जो लाभ तथा हानि खाता के अनुसार दो व्यापार के शुद्ध लाभ का अनुपात है। समाधान में पूंजी पर ब्याज पर विभक्त कर अथवा किसी तर्क शील आधार पर भी निकाला जा सकता है।

(b) धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 2(ea) के स्पष्टीकरण 1 के वाक्य (b) के अनुसार 'शहरी जमीन' की परिभाषा निम्न है :

© The Institute of Chartered Accountants of India

'शहरी जमीन' की परिभाषा के अंदर सम्मिलित करना

(i) किसी क्षेत्र में स्थित जमीन को नगरपालिका अथव छावनी बोर्ड के न्याय क्षेत्र से मिलकर बना है तथा जिसकी जनसंख्या 10,000 से कम नहीं है।

(ii) पिछली जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या की रेंज के संबंध में आकाशीय रूप से मानी दूरी के अंदर किसी क्षेत्र में स्थित जमीन–

	मद (a) में संदर्भित एक पालिका अथवा छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमा से लघुत्तम आकाशीय दूरी।	अंतिम पहले की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या जिसके लिए गत वर्ष के प्रथम दिवस से पूर्व प्रासंगिक अंक को प्रकाशित किया है।
(1)	≤ 2 किलोमीटर	$> 10,000 \leq 1,00,000$
(2)	$\leq$ 6 किलोमीटर	$> 1,00,000 \leq 10,00,000$
(3)	$\leq$ 8 किलोमीटर	$> 10,00,000$

'शहरी जमीन' की परिभाषा से अलग करना

(i) सरकार के रिकॉर्ड में कृषि जमीन के रूप में वर्गीकृत जमीन तथा कृषि उद्देश्य के लिए प्रयुक्त;

(ii) जमीन जिस पर क्षेत्र जिसमें जमीन स्थित है में समय के प्रभाव में किसी कानून के अन्तर्गत भवन का निर्माण अनुमेय नहीं है;

(iii) किसी कृषक द्वारा ग्रहण जमीन जिसे उपयुक्त प्राधिकरण के अनुमोदन से निर्मित किया है;

(iv) उसके द्वारा अधिगृहण की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए औद्योगिक उद्देश्य के लिए कर निर्धारिती द्वारा धारित अनुप्रयुक्त जमीन;

(v) उसके द्वारा अधिगृहण की तिथि से दस वर्षों की अवधि के लिए व्यापारिक स्टॉक के रूप में कर निर्धारिती द्वारा धारित कोई जमीन।

(c)

	कथन की वैधता/अवैधता	कथन की वैधता/अवैधता का कारण
(i)	**अवैध**	शुद्ध सम्पत्ति का निर्धारण कर निर्धारिती द्वारा अपनाये लेखांकन के सिस्टम पर निर्भर नहीं है। नकद के अतिरिक्त किसी सम्पत्ति का मूल्य अनूसची III में रखे तरीके में निर्धारित, मूल्यांकन तिथि का मूल्य होगा।
(ii)	**अवैध**	चाहे लेखा पुस्तकों में रिकॉर्डिंग नहीं हस्तगत नकद धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 2(ea)(vi) के अनुसार व्यक्ति (individual) अथवा हिंदू अविभक्त परिवार के अतिरिक्त व्यक्ति (Person) के मामले में सम्पत्ति होगा, उसे फर्म आयकर

© The Institute of Chartered Accountants of India

		अधिनियम, 1957 की धारा 3 के अनुसार धनकर को निर्धारण इकाई नहीं है। यद्यपि फर्म की सम्पत्ति (गैर–रिकॉर्डिंग नकद सहित) में साझेदार के हित का मूल्य धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 4(1)(b) के अनुसार उसकी शुद्ध धन में सम्मिलित योग्य होगा।
(iii)	**अवैध**	धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 4(1)(a)(1) के अन्तर्गत माना प्रावधान केवल अलग रहने के समझौते के संबंध में अथवा पर्याप्त प्रतिफल के अतिरिक्त जीवन साथी को अंतरित सम्पत्ति के संबंध में लागू होगा। इस मामले में, क्योंकि श्री Tom ने अपनी पत्नी से अलग रहने के समझौते के तहत खाली स्थान को अंतरित किया, माना प्रावधान लागू नहीं होगा तथा सम्पत्ति उसी पत्नी के हाथों में करयोग्य होगी।
(iv)	**अवैध**	धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 19 मृतक कर निर्धारिती द्वारा की गयी चूक के लिए कानूनी प्रतिनिधियों के दायित्व का निर्धारण करता है। धारा 19(3) के अनुसार, धारा 14, 15 तथा 17 के प्रावधान कानूनी प्रतिनिधि पर लागू होगा जैसा वे उन धारा में संदर्भित किसी व्यक्ति पर लागू होते हैं। यद्यपि, धारा 19(3) में दंड समझौता करने के लिए धारा 18 में कोई संदर्भ नहीं है। कानूनी स्थिति के मत में, धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 18 के अन्तर्गत दंड को न ही तो मृतक जिसके विरुद्ध उसकी मृत्यु से पूर्व दंड कार्यवाही आरंभ की है के द्वारा चूक के लिए कानूनी प्रतिनिधि पर पहले से दंड लगाया जा सकता है न ही दंड कार्यवाही आरंभ की जा सकती है [CWT *vs.* H.S.Chauhan (2000) 245 ITR 704(Delhi)]।
(v)	**वैध**	धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 6 के अनुसार, भारत में अनिवासी कम्पनी के मामले में, भारत से बाहर स्थित सम्पत्ति तथा ऋण का मूल्य को मूल्यांकन तिथि पर उसकी शुद्ध धन की गणना में हिसाब से नहीं लिया जायेगा, यद्यपि इस प्रकार कम्पनी (इस मामले में श्रीलंका में निर्गमित कम्पनी) द्वारा भारत में धारित सम्पत्ति का मूल्य धन कर के लिए दायी होगा।

प्रश्न 2

Moon India लिमिटेड जो निर्माणी गतिविधि में लिप्त है निम्न विवरण देती है :

लाभ तथा हानि खाता के अनुसार शुद्ध लाभ ₹ 50,00,000

(i) कम्पनी ने अपने कार्यालय परिसर की पुनर्स्थानांतरण के उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹ 12,00,000 का ऋण लिया। ऋणदाता ने वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹ 8,00,000 को माफ किया तथा कम्पनी ने इसे लाभ तथा हानि खाता को क्रेडिट किया।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) लाभ तथा हानि खाता को वसूल ह्रास ₹ 16 लाख है। आयकर अधिनियम के अनुसार ह्रास ₹ 28,00,000 है जिसमें निम्न सम्मिलित हैं :

कम्प्यूटर्स के लिए ह्रास दर को (i) एक प्रिंटर्स तथा स्कैनर्स जैसी उपकरण तथा (ii) EPABX के लिए अपनाया है। 1.4.2014 को इनका अपलिखित मूल्य को नीचे दिया गया है :

(a) प्रिंटर्स तथा स्कैनर्स ₹ 50,000

(b) EPABX ₹ 2,00,000

यह मानले कि वर्ष के दौरान कोई जोड़ नहीं है।

(iii) इसने अंशों के सार्वजनिक निर्गमन के लिए व्यय के रूप में ₹ 2,50,000 का व्यय किया। सेबी द्वारा स्वीकृति ना देने के कारण सार्वजनिक निर्गम को साकार रूप नहीं दिया जा सका। इस राशि को लाभ तथा हानि खाता से वसूल किया।

(iv) इसने ऋण पत्र के निर्गमन की तरफ ₹ 2,00,000 का व्यय किया। राशि को पुस्तकों में पूंजीकृत किया।

(v) कम्पनी ने प्रदूषण नियंत्रण विनियमन में उल्लघंन के लिए समझौता शुल्क के रूप में ₹ 1,00,000 का भुगतान किया। इसे राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया।

(vi) कम्पनी ने चोरी के कारण ₹ 25,00,000 के नकद को खो दिया जब इसे बैंक से आहरित किया तथा प्रशासकीय कार्यालय ले जाया गया। यह बीमित नहीं है तथा अतएव राजस्व व्यय के रूप में पूर्ण रूप से प्रभारित है।

(vii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार अनुमेय निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों की तरफ वर्ष के दौरान ₹ 5,00,000 का व्यय किया। इसे लाभ तथा हानि खाता से प्रभारित किया।

(viii) इसने स्टॉक इक्सचेंज में सूचीबद्ध अंशों के सौदे के लिए शेयर ब्रोकर को ₹ 2,00,000 तथा MCX पर वस्तु सौदों के लिए कोमोडिटी ब्रोकर को ₹ 1,00,000 का भुगतान किया। दोनों राशि को लाभ तथा हानि खाता को डेबिट किया तथा इन भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती नहीं की।

(ix) कम्पनी ने वर्ष के दौरान फैक्टरी में 115 नये श्रमिक जो विद्यमान कार्यबल का 20% है तथा पंजीकृत कार्यालय में 18 कर्मचारी जो विद्यमान कर्मचारी बल का 10% के बराबर है को नौकरी दी। इसने अतिरिक्त मजदूरी तथा वेतन के रूप में क्रमशः ₹ 20,00,000 तथा ₹ 8,00,000 का भुगतान किया।

(x) इसने एक चुनाव न्यास को नकद में ₹ 50,000 का तथा एक पंजीकृत राजनैतिक दल को चैक द्वारा ₹ 1,00,000 का भुगतान किया इन दोनों को लाभ तथा हानि खाता को डेबिट किया।

करनिर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए कम्पनी की कुल आय की गणना करें।

उपरोक्त मदों में से प्रत्येक के उपचार के लिए संक्षेप में कारण दीजिए।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) प्रावधान की अनदेखी करें। (16 अंक)

© The Institute of Chartered Accountants of India

उत्तर

(a) करनिर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए Moon Ltd. की कुल आय की गणना

विवरण	राशि	
व्यापार तथा व्यवसाय से लाभ तथा अर्जन		
लाभ तथा हानि खाता के अनुसार शुद्ध लाभ		50,00,000
जोड़े : मदें डेबिट की परन्तु पृथक् रूप से विचार किया जायेगा अथवा अस्वीकृत किया जाता है।		
लेखा की पुस्तकों के अनुसार ह्रास **(नोट 1)**	16,00,000	
अंशों का सार्वजनिक निर्गम पर व्यय जो सेबी की अनुमति के बिना सरकार नहीं हो सकता **(नोट 2)**	2,50,000	
प्रदूषण नियंत्रण विनियमन के उल्लंघन के लिए भुगतान समझौता शुल्क **(नोट 3)**	1,00,000	
चोरी के कारण बैंक से प्रशासकीय कार्यालय में मार्गस्थ नकद की हानि **(नोट 4)**	-	
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार अनुमेय निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की तरफ व्यय **(नोट 5)**	5,00,000	
स्रोत पर कर कटौती के बिना स्टोक ब्रोकर को भुगतान **(नोट 6)**	-	
स्रोत पर कर कटौती के बिना कमोडिटी ब्रोकर को भुगतान	30,000	
चुनावी न्यास तथा पंजीकृत राजनैतिक दल को दान **(नोट 7)**	1,50,000	26,30,000
		76,30,000
घटायें : राशि क्रेडिट जिस पर पृथक् रूप से विचार किया जायेगा स्वीकृत व्यय :		
आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत स्वीकृति ह्रास **(नोट 1)**	27,10,000	
कार्यालय परिसर के स्थानांतरण के लिए ऋण की माफी **(नोट 8)**	8,00,000	
ऋणपत्र के निर्गम पर व्यय **(नोट 9)**	2,00,000	
		37,10,000
सकल कुल आय		**39,20,000**

© The Institute of Chartered Accountants of India

घटायें : **अध्याय VI-A के अन्तर्गत कटौती**		
धारा 80GGB के अन्तर्गत (पंजीकृत राजनैतिक दल को चंदा) **(नोट 7)**	1,00,000	
धारा 80JJAA के अन्तर्गत **(नोट 10)**	6,00,000	7,00,000
कुल आय		**32,20,000**

नोट :

(1) लाभ तथा हानि खाता में प्रभारित लेखा पुस्तकों के अनुसार ह्रास (अर्थात् ₹ 16 लाख) को वापस जोड़ा जायेगा तथा आयकर नियम, 1962 के अनुसार गणना की गयी ह्रास (अर्थात् ₹ 27.10 लाख) की धारा 32 के अन्तर्गत कटौती के रूप में स्वीकार्य है।

कम्प्यूटर्स पुर्जे जैसे प्रिंटर्स तथा स्कैनर्स कम्प्यूटर्स सिस्टम का अभिन्न अंग है तथा उन्हें कम्प्यूटर के बिना प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, अतएव वे 60% की दर से ह्रास के लिए पात्र है [CIT *vs.* BSES Yamuna Powers Ltd. (2013) 358 ITR 47 (Del.)].

यद्यपि, EPBAX कम्प्यूटर नहीं है तथा अतएव 60% की दर से उच्च ह्रास के लिए हकदार नहीं है [Federal Bank Ltd. *vs.* ACIT (2011) 332 ITR 319 (Kerala)]।

इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार ह्रास ₹ 27.10 लाख होगी जिसकी गणना निम्न होगी :

विवरण	₹
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार गणना की गयी राशि	28,00,000
घटाये : EPABX के संबंध में गलत ढंग से 60% की दर से प्रदान ह्रास = 2,00,000 × 60%	1,20,000
	26,80,000
जोड़ें: EPABX पर 15% की दर से ह्रास	30,000
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार सही ह्रास	27,10,000

(2) कम्पनी द्वारा उत्पन्न अंश निर्गम व्यय पूंजीगत व्यय बनाता है चाहे सेबी की गैर–अनुमति के कारण सार्वजनिक निगम नहीं कर सकी यद्यपि प्रसास करना बंद कर दिया, तथा यह है कि व्यय को केवल पूंजी आधार के विस्तार के उद्देश्य के लिए किया। व्यय की पूंजी प्रकृति को बंद प्रयास के कारण भूला नहीं जा सकता [Mascon Technical Services Ltd. *vs.* CIT (2013) 358 ITR 545 (Mad.)] क्योंकि व्यय को लाभ तथा हानि खाता को प्रभारित किया, उसे वापस जोड़ा जायेगा।

(3) एक अपराध के समझौता के लिए भुगतान राशि अनिवार्य दंड है तथा केवल तथ्य कि इसे समझौता शुल्क के रूप में वर्णित किया है किसी भी तरह से भुगतान के चरित्र को नहीं बदला जो दंड के प्रकृति में है। अतएव, यह राजस्व व्यय के रूप में

© The Institute of Chartered Accountants of India

स्वीकार्य नहीं है [Millenia Developers P Ltd. *vs.* Deputy CIT (2010) 322 ITR 401 (Kar.)]।

क्योंकि समझौता शुल्क को लाभ तथा हानि खाता से वसूला उसे वापस जोड़ा जायेगा।

(4) यह निर्धारण करने के लिए क्या हानि चोरी, डकैती, गबन इत्यादि से है कटौतीयोग्य है अथवा नहीं, सारवान है कि क्या चोरी, डकैती इत्यादि के द्वारा उत्पन्न हानि व्यापार को चलाने के प्रासंगिक है। यह ज्यादा अंतर नहीं करता क्या इस प्रकार की हरकत कर निर्धारिती के कर्मचारी द्वारा की है अथवा अपरिचित द्वारा [G.G. Dandekar Machine Works Ltd. *vs.* CIT (1993) 202 ITR 161 (Bom.)]।

इस मामले में, चोरी के कारण हानि हुई जब नकद को बैंक द्वारा आहरित किया तथा प्रशासकीय कार्यालय में ले जाया गया। अतएव यह व्यापार का प्रासंगिक है तथा इसलिए राजस्व व्यय के रूप में स्वीकार्य है। क्योंकि इसे पहले राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया है, किसी आगे समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

(5) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में संदर्भित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित गतिविधियों पर कर निर्धारिती द्वारा उत्पन्न व्यय को व्यापार के उद्देश्य के लिए नहीं माना जायेगा तथा अतएव, धारा 37 के अन्तर्गत कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं होगा। क्योंकि व्यय को लाभ तथा हानि खाता से प्रभारित किया है, इसे व्यापार आय की गणना के लिए वापस जोड़ा जायेगा।

यह माना गया है कि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 30 से 36 में वर्णित प्रकृति का नहीं है तथा अतएव उन धारा के अन्तर्गत कटौती के लिए अहर्ता प्राप्त नहीं करता।

(6) शेयर ब्रोकर तथा कामोडिटी ब्रोकर को भुगतान कमीशन की प्रकृति में है। यद्यपि, प्रतिभूतियों में सौदे के लिए भुगतान को विशेष रूप से धारा 194H के क्षैत्र से बाहर किया। अतएव, स्टांक एक्सचेंज में सूचीबद्ध अंश (जो प्रतिभूतियों के अर्थ के अंदर आता है) के सौदों के लिए शेयर ब्रोकर को ₹ 2 लाख का भुगतान स्रोत पर कर कटौती ना करने के लिए अस्वीकृत नहीं होगा।

यद्यपि, MCX पर कमोडिटी सौदों के लिए कोमोडिटी ब्रोक को ₹ 1 लाख के भुगतान पर धारा 194H के अन्तर्गत स्रोत पर कर की गैर कटौती के कारण धारा 40(a)(ia) के अन्तर्गत 30% की दर से अस्वीकृति लगेगी।

क्योंकि अंशों में सौदे से आय को पृथक् रूप से वर्णित नहीं किया, यह माना गया है कि इस प्रकार की आय को लाभ तथा हानि खाता में ₹ 50 लाख के शुद्ध लाभ में सम्मिलित किया तथा इसलिए, शेयर ब्रोकर को भुगतान कमीशन की इस प्रकार की आय में कटौती के रूप में आज्ञा होगी।

(7) चुनावी न्यास तथा पंजीकृत राजनीतिक दल को चंदा धारा 37 के अन्तर्गत स्वीकार्य व्यय नहीं है क्योंकि यह व्यापार अथवा व्यवसाय के उद्देश्य के लिए पूर्णतः अथवा एकनिष्ट रूप से रखा नहीं गया है। अतएव उसे व्यापार आय की गणना करते हुए वापस जोड़ना होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

यद्यपि, एक कम्पनी द्वारा एक चुनावी न्यास अथवा पंजीकृत राजनीतिक दल को किया चंदा सकल कुल आय से धारा 80GGB के अन्तर्गत कटौती के रूप में स्वीकार्य है, इस शर्त के तहत कि भुगतान को नकद के अतिरिक्त किया गया है। क्योंकि चुनावी न्यास को चंदा नकद में किया, वह धारा 80GGB के अन्तर्गत कटौती के लिए अहर्ता प्राप्त नहीं करता। जबकि ₹ 1 लाख चंदा का भुगतान चैक के द्वारा पंजीकृत राजनैतिक दल को किया गया जो धारा 80 GGB में कटौती के योग्य हो जाएगा।

(8) क्योंकि Moon India Ltd. द्वारा ऋण को कार्यालय परिसर के स्थानांतरण अर्थात् पूंजीगत सम्पत्ति का अधिगृहण के उद्देश्य के लिए लिया, उसकी माफी के अन्तर्गत करयोग्यता के लिए माफी धारा 41(1) के अन्तर्गत करयोग्यता के लिए माफी नहीं नहीं कहा जाता अथवा व्यापार दायित्व की माफी नहीं माना जा सकता। इस प्रकार के ऋण की माफी जो प्रकृति में पूंजी है करयोग्य नहीं है [CIT *vs.* Softworks Computers P Ltd. (2013) 354 ITR 16 (Bom.)]. इस मामले में, क्योंकि ₹ 80 लाख के माफ ऋण को लाभ तथा हानि खाता में क्रेडिट किया है उसकी व्यापार आय की गणना के लिए कटौती की जानी चाहिए।

(9) ऋण पत्र के निर्गम पर व्यय पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं है तथा कर निर्धारिती के व्यापार के उद्देश्य के लिए सम्पूर्ण तथा एकनिष्ट रूप से व्यय किया है तथा इसलिए कटौती के रूप में स्वीकार्य है धन का ऋण पर लेने की कार्यवाही व्यापार को चलाने का प्रासंगिक है, प्राप्त ऋण एक सम्पत्ति नहीं है अथवा टिकाऊ की प्रकृति का लाभ नहीं है, व्यय को कुछ अवधि के लिए धन के उपयोग को प्राप्त करने के लिए किया है तथा यह उद्देश्य पर विचार करने के लिए अप्रासंगिक है जिसके लिए ऋण प्राप्त किया [India Cements Ltd. *vs.* CIT (1966) 60 ITR 52 (SC)]।

क्योंकि उक्त व्यय को लेखा की पुस्तकों में पूंजीकृत किया है, उसकी व्यापार आय की गणना के लिए कटौती करनी होगी।

(10) एक कारखाना में कर निर्धारिती द्वारा रोजगार में रखे नये नियमित श्रमिकों को भुगतान अतिरिक्त मजदूरी की 30% की कटौती धारा 80JJAA के अन्तर्गत स्वीकार्य है जहां पर एक भारतीय कम्पनी की सकल कुल आय में एक कारखाना में वस्तु का निर्माण से प्राप्त लाभ तथा अर्जन सम्मिलित है।

"अतिरिक्त मजदूरी" का अर्थ गत वर्ष के दौरान नियोजित 100 श्रमिकों के आधिक्य में नये नियमित श्रमिकों को भुगतान मजदूरी से है। विद्यमान कारखाना के मामले में, वर्ष के दौरान नियोजित नियमित श्रमिकों की संख्या गत वर्ष के अंतिम दिवस पर नियोजित श्रमिकों की विद्यमान संख्या का 10% अथवा अधिक होना चाहिए।

इस मामले में गत वर्ष 2014–15 के दौरान कारखाना में 115 नये श्रमिकों को नियोजित किया तथा कारखाना में नियोजित नये श्रमिक विद्यमान कार्यबल का 20% है, कम्पनी धारा 80JJAA के अन्तर्गत कटौती के लिए पात्र है यह मानकर कि श्रमिक नियमित श्रमिक हैं। धारा 80JJAA के अन्तर्गत कटौती इन 115 श्रमिकों को

© The Institute of Chartered Accountants of India

भुगतान मजदूरी के संबंध में उपलब्ध होगी जो कारखाना में 575 का विद्यमान श्रमिक से अधिक है।

इसलिए, धारा 80JJAA के अन्तर्गत कटौती ₹ 6,00,000 होगी जो ₹ 20,00,000 का 30% है।

कारखाना के अतिरिक्त एक स्थान (यहां पर पंजीकृत कार्यालय के मामले में) में कार्यरत नये कर्मचारियों को भुगतान अतिरिक्त वेतन के संबंध में कोई कटौती स्वीकार्य नहीं है।

नोट : यह मानना युक्तिपूर्वक है कि ₹ 20 लाख की अतिरिक्त मजदूरी तथा ₹ 8 लाख का वेतन को लाभ तथा हानि खाता को डेबिट किया। अतएव, व्यापार आय की गणना करते हुए इस प्रकार की मजदूरी तथा वेतन के संबंध में किसी आगे की समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 3

(a) धारा 12AA के अन्तर्गत पंजीकृत एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास एक अस्पताल तथा मैडीकल कालेज को चलाता है। इसने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय को निम्न सूचना दी :

(i) अस्पताल से सकल प्राप्ति ₹ 425 लाख।

(ii) व्यापार से आय मुख्य उद्देश्य से प्रासंगिक ₹ 2 लाख।

(iii) जनता से प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान ₹ 32 लाख। इसमें ₹ 3 लाख का कोष दान तथा ₹ 5 लाख का अज्ञात दान सम्मिलित है।

नोट : स्वैच्छिक अंशदान उपरोक्त (i) में दिये गये सकल प्राप्ति में भी सम्मिलित है।

(iv) अस्पताल परिचालन व्यय उत्पन्न ₹ 105 लाख (इसमें पूंजीगत व्यय तथा ह्रास सम्मिलित नहीं है)।

(v) मैडीकल कालेज से आय (केवल शिक्षा उद्देश्य के लिए) ₹ 10 लाख वर्ष के लिए सकल प्राप्ति ₹ 90 लाख।

(vi) उपरोक्त (i) में दी गयी सकल प्राप्ति में ₹ 55 लाख की राशि सम्मिलित है जो उपार्जित हो गयी परन्तु प्राप्त नहीं किया। यद्यपि 31 मार्च, 2015 में ₹18 लाख की प्राप्ति हुई।

(vii) न्यास ने अपने अस्पताल को बढ़ाने के लिए भवन अधिगृहण के लिए ₹ 80 लाख को अलग से रखा परन्तु राशि का भुगतान मई 2015 में किया जब बिक्री प्रलेख को इसके नाम में पंजीकृत किया।

(viii) जून, 2014 में, न्यास ने ₹ 28 लाख के लिए नई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का क्रय तथा स्थापना की। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार ह्रास की दर 60% थी।

(ix) न्यास ने अस्पताल के लिए लेपटाप, कम्प्यूटर्स तथा प्रिंटर्स की तरफ ₹ 35 लाख का व्यय किया।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(x) इसने अस्पताल भवन का निर्माण के लिए पहले से लिए ₹ 15 लाख के ऋण का पुनर्भुगतान किया।

कानून की परिधि के अंदर अधिकतम लाभ को प्राप्त करने के लिए करनिर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए न्यास की कुल इकाई की गणना करें (8 अंक)

(b) आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय VIA के संदर्भ में निम्न का संक्षेप में उत्तर देवें :

(i) श्री राजू ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान राजीव गांधी समता बचत योजना (RGESS) की सूचीबद्ध यूनिट में ₹ 60,000 का निवेश किया। वह इस प्रकार के निवेश के संबंध में कितनी कटौती का दावा कर सकता है?

(ii) श्री जाजू ने अपनी माता जो 90% अपंगता से ग्रसित है की भरण–पोषण के लिए जीवन बीमा निगम के पास ₹ 65,000 को जमा किया। वह उस पर पूर्ण रूप से निर्भर है। कितनी राशि कटौतीयोग्य है?

(iii) श्री शिवा की ₹ 3,75,000 की सकल कुल आय है। उसने निम्न दान दिया:

राष्ट्रीय बाल फंड	₹ 25,000 चैक द्वारा
प्रधानमंत्री अकाल राहत फंड	₹ 30,000 चैक द्वारा
राष्ट्रीय रक्त संक्रामण परिषद्	₹ 40,000 चैक द्वारा
राष्ट्रीय बीमारी सहायता फंड	₹ 20,000 नकद तथा चैक द्वारा बराबर

धारा 80G के अन्तर्गत कटौतीयोग्य राशि की गणना करें।

(iv) एक कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्री मनोज ने अपने मित्र के साथ मिलकर एडवांस कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग पर पुस्तक का सहलेखन किया। उसने मार्च, 2015 में एक मुश्त रायॅल्टी के रूप में ₹ 4,10,000 को प्राप्त किया। कितनी रॉयल्टी करयोग्य है? (8 अंक)

उत्तर

(a) करनिर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए न्यास की कुल आय की गणना

विवरण	लाख ₹	लाख ₹
अस्पताल से सकल प्राप्ति (₹ 32 लाख के स्वेच्छिक अंशदान को छोड़कर [₹ 425 लाख ₹ 32 लाख]		393.00
घटायें : हस्पताल परिचालन व्यय		105.00
		288.00
व्यापार से आय मुख्य उद्देश्य[1] का प्रासंगिक		2.00
		290.00

[1] यह माना गया है कि न्यास द्वारा इस प्रकार के व्यापार के संबंध में लेखा की पुस्तकों को रखा गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

जोड़े : ₹ 3 लाख का कोष दान को छोड़कर स्वेच्छिक अंशदान		29.00
		319.00
घटायें : अज्ञात चंदा धारा 115BBC के अन्तर्गत 30% की दर से करयोग्य है **(देखे नोट 1)**		3.40
		315.60
घटायें : धारा 11(1)(a[2] के अन्तर्गत बिना किसी शर्त के रखी अथवा संग्रहण के लिए पात्र आय का 15%		47.34
		268.26
घटायें : धारा 11(1)[3] की स्पष्टीकरण 2 के अनुसार माना उपयोग		
(i) गत वर्ष के दौरान उपार्जित राशि परन्तु प्राप्त नहीं किया	55.00	
(ii) 31 मार्च, 2015 को प्राप्त आय	18.00	73.00
		195.26
घटायें : हस्पताल के उद्देश्य के लिए उपयोग में लायी राशि **(नीचे नोट 2 देखें)**		
· नये कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत (यह मानकर कि उसे अस्पताल के उद्देश्य के लिए क्रय किया।	28.00	
· अस्पताल के लिए क्रय लेपटाप कम्प्यूटर्स तथा प्रिंटर्स की लागत पूंजीगत व्यय को आय के उपयोग के रूप में दावा किया जा सकता है [यह निर्णय S.RM.M. CT.M. Tiruppani Trust *vs.* CIT (1998) 230 ITR 636]।	35.00	
· अस्पताल भवन के निर्माण के लिए पहले से लिये ऋण का पुनर्भुगतान न्यास के उद्देश्य के लिए उत्पन्न ऋण का पुनर्भुगतान आय का उपयोग है [CIT *vs.* Janm bhoomi Press Trust (2000) 242 ITR 703 (Kar.)]।	15.00	78.00
		117.26
घटायें : **अस्पताल** को बढ़ाने के लिए भवन का अधिगृहण के लिए रखी राशि **(नोट 3 देखें)**		80.00

---

[2] CIT *vs.* Programme for community organisation (2001) 116Tax man 605 में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के कारण उत्पन्न एक संभव बैकल्पिक मत है कि सकल प्राप्ति का 15% धारा 11(1)(c) के अन्तर्गत संग्रहण के लिए पात्र होगा।

[3] यह माना गया है कि धारा 139(1) के अन्तर्गत स्वीकृत समय की समाप्ति से पूर्व लिखित में यह विकल्प माना गया है कि जिसमें इस प्रकार की आय को गत वर्ष जिसमें आय को प्राप्त किया है में आय का माना उपयोग माना है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

[एकदम बाद के वर्ष में मई, 2015 में व्यय राशि को गत वर्ष 2014–15 में उपयोग माना जा सकता है, वशर्ते करनिर्धारण अधिकारी को लिखित में नोटिस दिया है जैसा धारा 11(2) के अनुसार आवश्यक है।]		37.26
मेडीकल कालेज से ₹ 10 लाख की आय धारा 10(23C) (iiiad) के अन्तर्गत विमुक्त है क्योंकि सकल प्राप्ति ₹ 1 करोड़ से अधिक नहीं है।		Nil
कुल आय (धारा 115BBC के अन्तर्गत करयोग्य अज्ञात दान को छोड़कर)		**37.26**
जोड़े: 30% की दर से अज्ञात दान		3.40
न्यास की कुल आय (30% की दर से करयोग्य अज्ञात दान सहित)		**40.66**
करदायित्व को कम कर तथा/अथवा घटाने के लिए, न्यासी करनिर्धारण अधिकारी को ₹ 34.76 लाख [₹ 37.26 लाख घटा ₹ 2. 50 लाख (मूल विमुक्ति सीमा) की न्यूनतम को संगृहीत करने की इच्छा को बारे में निर्धारित तरीके में लिखित में नोटिस दे सकता है, जिसमें वे अवधि को निर्दिष्ट करेंगे तथा उद्देश्य जिसके लिए संग्रहण को करना प्रस्तावित है तथा धारा 11(5) के अन्तर्गत निर्दिष्ट माध्यम में इस प्रकार की राशि को निवेशित करेगे। यह संग्रहण धारा 11(2) के अनुपालन में होगा तथा इस प्रकार के मामले में, ₹ 37.26 लाख की कुल आय (धारा 115BBC के अन्तर्गत 30% की दर से अज्ञात दान को छोड़कर) पर कोई कर भुगतानयोग्य नहीं होगा।		

नोट :

(1) धारा 115BBC(1) के अनुसार, निम्न में से उच्च का आधिक्य में अज्ञात दान 30% की दर से कर के तहत होगा :

- ₹ 1.60 लाख जो प्राप्त दान का 5% है अर्थात् ₹ 32 लाख का 5%, अथवा
- ₹ 1 लाख

इसलिए, ₹ 3.4 लाख (₹ 5 लाख – ₹ 1.60 लाख) का अज्ञात दान धारा 115BBC के अन्तर्गत 30% की दर से कर के तहत होगा।

धारा 13(7) के अनुसार, इस प्रकार का अज्ञात दान धारा 11 तथा 12 के अन्तर्गत कुल आय के अलग करने के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) धारा 11(6) के अनुसार, जहां पर सम्पत्ति की लागत को उपयोग के रूप में दावा किया, इस प्रकार की सम्पत्ति पर ह्रास के लिए कटौती की उपयोग के उद्देश्य के लिए आय के निर्धारण में कोई आज्ञा नहीं होगी। इसलिए, क्योंकि नये कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, लेपटाप, कम्प्यूटर्स तथा प्रिंटर्स जिन्हें अस्पताल के लिए क्रय किया है का आय के उपयोग के रूप में दावा किया है, उपयोग के उद्देश्य के लिए आय के निर्धारण के लिए इन सम्पत्ति पर किसी ह्रास की आज्ञा नहीं होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(3) धारा 11 में प्रयुक्त 'लागू' का अर्थ आवश्यक रूप से 'व्यय' नहीं है चाहे यदि एक कुछ राशि को धर्मार्थ उद्देश्य के लिए आबंटित किया है, उक्त राशि को धर्मार्थ उद्देश्य के लिए लागू माना जा सकता है [CIT *vs.* Trustees of H.E.H. Nizams Charitable Trust, (1981) 131 ITR 497 (AP).]

(4) एक मत लिया गया है कि ₹ 1.60 लाख जो अज्ञात दान की राशि है जो 30% की दर से कर की लागू होने से विमुक्त है (तथा अतएव कर से सामान्य दर से प्रभारयोग्य है) का 15% भी अन्य स्वेच्छिक अंशदान की तरह बिना शर्त रखने/संग्रहण के लिए पात्र है। उपरोक्त समाधान को इस मत के आधार पर निकाला है।

यद्यपि, यह संभव है कि धारा 13(7) में प्रयुक्त भाषा को यह व्याख्या करने के लिए भी किया जा सकता है कि सामान्य दर पर कर को वसूलीयोग्य अज्ञात दान रखने/संग्रहण के लिए पात्र नहीं है। इस प्रकार के मामले में, ₹ 5 लाख का समस्त अज्ञात दान को ₹ 319 लाख से घटाया जायेगा ताकि ₹ 314 लाख तक पहुँचा जा सके तथा ₹ 314 लाख का 15% जो ₹ 47.10 लाख है बिना किसी शर्त के धारा 11(1)(a) के अन्तर्गत संग्रहण के लिए पात्र होगा।

(b)

	कटौती (₹)	कारण
(i)	25,000	धारा 80CCG के अनुसार, एक कर निर्धारिती जो निवासी व्यक्ति है को राजीव गांधी समता बचत योजना, 2013 के अनुसार एक समता उन्मुख फंड की सूचीबद्ध इकाई अथवा सूचीबद्ध समता अंशों में निवेशित राशि का 50% की कुल आय की गणना में कटौती की आज्ञा होगी। बशर्ते कर निर्धारिती की सकल कुल आय ₹ 12 लाख से अधिक नहीं है तथा वह एक नया खुदरा निवेशक है। श्री राजू धारा 80CCG के अन्तर्गत कटौती के लिए पात्र है– · ₹ 30,000 जो राजीव गांधी समता बचत योजना की सूचीबद्ध इकाई में निवेशित ₹ 60,000 का 50% है, अथवा · ₹ 25,000 जो भी कम है यह माना गया है कि श्री राजू की सकल कुल आय गत वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 12 लाख से अधिक नहीं है तथा वह एक नया खुदरा निवेशक है।
(ii)	1,00,000	धारा 80 DD के अनुसार, एक कर निर्धारिती जो व्यक्ति अथवा हिंदू अविभक्त परिवार है जो गत वर्ष के दौरान भारत का निवासी है तथा · उस पर आश्रित व्यक्ति जो अपंगता से ग्रसित है का चिकित्सा उपचार (नर्सिंग सहित), प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के लिए कोई व्यय किया है, अथवा

© The Institute of Chartered Accountants of India

		· एक आश्रित जो अपंग है की पालन के लिए जीवन बीमा निगम अथवा अन्य बीमाकर्ता के द्वारा बनायी योजना के अन्तर्गत किसी राशि को जमा अथवा भुगतान किया है। ₹ 50,000 की कटौती के लिए पात्र होगा जहां पर आश्रिम अपंगता के साथ व्यक्ति है। एक आश्रित जो तीव्र अपंगता के साथ व्यक्ति है, इस धारा के अन्तर्गत कटौती ₹ 1,00,000 होगी। श्री जाजू धारा 80DD के अन्तर्गत कटौती के लिए पात्र होगा क्योंकि उसने अपनी माता जो तीव्र अपंगता से ग्रसित है (एक अथवा अधिक अपंगता का 80%) तथा उस पर आश्रित है के पालन के लिए जीवन बीमा निगम के पास राशि को जमा किया है। धारा 80DD के अन्तर्गत उसे ₹ 1,00,000 की कटौती की आज्ञा होगी इस पर विचार किये बिना की उसने जीवन बीमा निगम के पास कितनी राशि को जमा किया है।
(iii)	60,000	श्री शिवा गत वर्ष के दौरान किये गये दान के संबंध में धारा 80G के अन्तर्गत कटौती के लिए पात्र होगा :

को दान	दान की राशि ₹	दान का तरीका	कटौती के लिए पात्र दान का %	कटौती की राशि (₹)
राष्ट्रीय बाल निधि	25,000	चैक	100%	**25,000**
प्रधानमंत्री अकाल राहत निधि	30,000	चैक	50%	**15,000**
राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषद्	40,000	नकद	100%	शून्य (₹ 10,000 के अधिक नकद दान कटौती के लिए पात्र नहीं है
राष्ट्रीय रोग सहायता निधि	20,000	चैक द्वारा ₹ 10,000 तथा नकद द्वारा ₹ 10,000	100%	**20,000** (समस्त राशि कटौती के लिए पात्र है क्योंकि इस मामले में नकद का ₹ 10,000 से अधिक नहीं है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iv)	3,00,000	समस्त रायॅल्टी को पहले 'अन्य स्रोत से आय' शीर्ष के अन्तर्गत मनोज की आय में सम्मिलित किया जायेगा। इसके पश्चात् श्री मनोज साहित्यिक अथवा वैज्ञानिक प्रकृति के कार्य वाली एक पुस्तक के संबंध में रायॅल्टी के स्वरूप में किसी एकमुश्त प्रतिफल के कारण उसके द्वारा प्राप्त समस्त आय अथवा ₹ 3,00,000 जो भी कम है धारा 80QQB के अन्तर्गत सकल कुल आय से कटौती के लिए पात्र होगा। एडवांस कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग पर पुस्तक साहित्यिक अथवा वैज्ञानिक [Dassault Systems K.K. In Re. (2010) 322 ITR 125 (AAR)]। इस मामले में, धारा 80QQB के अन्तर्गत पात्र कटौती ₹ 4,10,000 जो मनोज द्वारा प्राप्त एक मुश्त रायल्टी है अथवा ₹ 8,00,000 जो भी कम है होगी। कुल प्रभाव है कि मनोज की आय में सम्मिलित ₹ 4,10,000 में से वह धारा 80QQB कि अन्तर्गत ₹ 3,00,000 की कटौती का दावा कर सकता है। शेष ₹ 1,10,000 उसकी कुल आय का भाग होगा।

नोट : यह माना गया है कि श्री राजू श्री जाजू तथा श्री मनोज निवासी भारतीय है।

प्रश्न 4

निम्न **पाँच** मामलों में से किन्हीं **चार** का उत्तर दीजिए :

(a) एक सम्पत्ति डेबलपर तथा बिल्डर A & Co. Ltd. ने अपने खाता की पुस्तकों तथा धन कर विवरणी में बिना बिक्री फ्लैट को व्यापारिक स्टॉक के रूप में दिखाया। इसने फ्लैट को किराया पर दिया तथा उसे अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत वैधानिक कटौती का दावा कर गृह सम्पत्ति से आय के रूप में दिखाया। करनिर्धारण अधिकारी ने वैधानिक कटौती को अस्वीकृत कर दिया तथा उसे व्यापार से आय के रूप में दिखाया। करनिर्धारण अधिकारी की कार्यवाही की सही होने के बारे में निर्णय करें।

(b) श्री X के पास 5 मई 2008 से लीज होल्ड सम्पत्ति है। 20 मई 2014 को लीज होल्ड अधिकार को फ्रीहोल्ड अधिकार में बदला। उक्त सम्पत्ति को 10 जनवरी, 2015 को बेचा। कर निर्धारिती ने पूंजीगत लाभ का दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के रूप में दावा किया। करनिर्धारण अधिकारी ने दलील दी कि यह अल्पकालीन है क्योंकि सम्पत्ति को 20 मई 2014 को लीज होल्ड अधिकार को फ्री होल्ड अधिकार में परिवर्तित कर अधिगृहीत किया। क्या श्री X अपने दावे में उचित है?

(c) श्री मानस लॉटरी टिकिट का वितरक है। उसने बिना बिक्री लॉटरी टिकिट पर पुरस्कार धन के रूप में ₹ 6,00,000 को जीता। उसने इसे व्यापारिक आय दिखाया। करनिर्धारण अधिकारी उसे धारा 115BB के अन्तर्गत निर्धारित दर पर लॉटरी जीत के रूप में कर लगाना चाहता है। क्या उसकी कार्यवाही उचित है?

© The Institute of Chartered Accountants of India

(d) Maitri Jeans (P) Ltd. जींस के निर्माण के व्यवसाय में है। करनिर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए इसने धारा 115JB के अन्तर्गत गणना कर पुस्त लाभ पर 18.50% की दर से कर का भुगतान किया। करनिर्धारण अधिकारी यद्यपि संतुष्ट है कि यह धारा 115JB के अन्तर्गत पुस्त लाभ के भुगतान के लिए दायी है धारा 234B तथा 234C के अन्तर्गत ब्याज को वसूलना चाहती है क्योंकि वित्तीय वर्ष प्रस्तावित लगाने पर आपकी राय को मांगती है।

(e) Mango Ltd. ने अपनी राय की विवरणी में ग्रेज्युटी के भुगतान के लिए किये प्रावधान के संबंध में गलती से कटौती का दावा किया। यद्यपि, इसे धारा 44AB के अन्तर्गत फाइल कर अंकेक्षण रिपोर्ट में धारा 40A(7) के अन्तर्गत गैर–स्वीकृति के रूप में दिखाया। करनिर्धारण अधिकारी ने धारा 271(1)(C) के अन्तर्गत दंड को लगाने के लिए कार्यवाही आरंभ की। कम्पनी की दलील है कि दावा गलती से था क्योंकि विवरणी को प्रशासकीय कर्मचारी द्वारा कम्प्यूटर में डाला तथा ई–फाइल किया। करनिर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही की सही होने के बारे में निर्णय देवें। (4 × 4 = 16 अंक)

उत्तर

(a) इस मामले में विचाराधीन विषय है कि क्या A & Co. Ltd. की लेखा पुस्तकें तथा धन कर विवरणी में व्यापारिक स्टॉक के रूप में प्रकट किराया पर दिये फ्लैट से प्राप्त किराया आय शीर्ष 'गृह सम्पत्ति से आय' अथवा 'व्यापार अथवा व्यवसाय का लाभ तथा अर्जन' के अन्तर्गत करयोग्य होगी।

धारा 22 के अनुसार, कोई भवन अथवा उससे जुड़ी जमीन जिसका करनिर्धारी स्वामी है, से मिलकर सम्पत्ति, इस प्रकार की सम्पत्ति का इस प्रकार का भाग जिसे वह उसके द्वारा चलाये जा रहे किसी व्यापार अथवा व्यवसाय के उद्देश्य के लिए गृहण कर सकता है, जिसका लाभ आय कर से वसूलीयोग्य है को छोड़कर का वार्षिक मूल्य 'गृह सम्पत्ति से आय' के अन्तर्गत आयकर से वसूलीयोग्य होगा।

इसलिए, उसके स्वयं के व्यापार के उद्देश्य के लिए करनिर्धारी द्वारा गृहण केवल सम्पत्ति को धारा 22 के क्षेत्र से अलग किया जाता है। एक प्राकृतिक परिणाम के रूप में, धारा 22 अपने क्षेत्र से व्यापारिक स्टांक के रूप में धारित सम्पत्ति से आय से अलग नहीं करता।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने Azimganj Estate (P.) Ltd. *vs.* CIT (2013) 352 ITR 82 के मामले में अवलोकित किया कि एक बिल्डर के बिना बिक्री फ्लैट से किराया आय को गृह सम्पत्ति की आय के रूप में करयोग्य किया जायेगा जैसा धारा 22 के अन्तर्गत प्रदान किया है तथा क्योंकि वह विशेष रूप से इस शीर्ष के अन्तर्गत आता है, इस पर शीर्ष 'व्यापार अथवा व्यवसाय से लाभ तथा अर्जन' के अन्तर्गत कर नहीं लगाया जा सकता। इसलिए, करनिर्धारी धारा 24 के अनुसार इस प्रकार किराया आय से 30% की वैधानिक कटौती का दावा करने के लिए हकदार होगा। तथ्य कि फ्लैट को धन कर से वसूलीयोग्य के रूप में दावा नहीं किया, उसे व्यापारिक स्टॉक के रूप मे माना जायेगा आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आय की गणना को प्रभावित नहीं करेगा।

इसलिए, इस मामले में बिल्डर A & Co. Ltd. का बिना बिक्री फ्लैट से किराया आय 'गृह सम्पत्ति से आय' के रूप में करयोग्य होगा जैसा धारा 22 के अन्तर्गत प्रदान किया है तथा

© The Institute of Chartered Accountants of India

क्योंकि यह विशेष रूप से इस शीर्ष के अन्तर्गत आता है, इस पर शीर्ष 'व्यापार अथवा व्यवसाय से लाभ तथा अर्जन' के अन्तर्गत कर नहीं लगाया जा सकता।

A & Co. Ltd. धारा 24 के अनुसार इस प्रकार की किराया आय से 30% की वैधानिक कटौती का दावा करने के लिए हकदार होगा।

इसलिए, इस मामले में करनिर्धारण अधिकारी का वैधानिक कटौती का खंडन करने तथा किराया पर दिये फ्लैट से आय को व्यापार आय मानना को कार्यवाही सही नहीं है।

(b) इस मामले में विचाराधीन विषय है जहां पर लीजहोल्ड सम्पत्ति का क्रय किया तथा बाद में फ्रीहोल्ड सम्पत्ति में परिवर्तित किया है तथा तब बेंचा है, धारिता की अवधि यह निर्धारित करने के लिए क्या परिणामतः पूंजीगत लाभ अल्पकालीन है अथवा दीर्घकालीन के लिए को क्रय की तिथि अथवा परिवर्तन की तिथि से माना जाये।

इस मामले में CIT *vs.* Smt. Rama Rani Kalia (2013) 358 ITR 0499 (All.) में तथ्य समान है। उस मामले में यह अवलोकित किया गया कि लीजहोल्ड सम्पत्ति का फ्रीहोल्ड सम्पत्ति में परिवर्तन सम्पत्ति के ऊपर स्वत्व (title) का सुधार है, क्योंकि करनिर्धारी परिवर्तन से पूर्व स्वामी था। आगे, अल्पकालीन पूंजीगत सम्पत्ति तथा 'दीर्घकालीन पूंजीगत सम्पत्ति' के मध्य अंतर अवधि है जिसके लिए सम्पत्ति को करनिर्धारी द्वारा धारित किया तथा नाकि सम्पत्ति के ऊपर स्वत्व की प्रकृति।

सम्पत्ति के पट्टाधारी का लीज डीड की शर्तों के तहत सम्पत्ति का स्वामी है। तदानुसार, पट्टाधारी लीज होल्ड अधिकार का अंतरण कर सकता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पट्टा धारी का लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड में अधिकार का अंतरण सम्पत्ति के ऊपर अधिकार के ऊपर सुधार के जरिये है। इसका इस प्रकार की सम्पत्ति से लाभ की करयोग्यता पर कोई प्रभाव नहीं होगा जो अवधि जिसके लिए सम्पत्ति को धारित किया है। दोनों लीज होल्ड तथा फ्री होल्ड के रूप में के लिए अवधि से संबंधित है।

इसलिए, इस मामले में, श्री X के द्वारा सम्पत्ति की धारिता की अवधि को 5 मई, 2008 से 10 जनवरी, 2015 तक गिना जायेगा जो 36 माह से अधिक है परिणामतः पूंजीगत लाभ दीर्घकालीन होगा।

इसलिए, श्री X का पूंजीगत लाभ को दीर्घकालीन लाभ के रूप में गिनना उचित है।

(c) विचाराधीन विषय है क्या लाटरी टिकट का वितरक द्वारा धारित बिना बिक्री लॉटरी का पुरस्कार धन का जीवन धारा 115BB के अन्तर्गत निर्धारित 30% की दर पर कर के तहत हो सकता है।

CIT *vs.* Manjoo and Co. (2011) 335 ITR 527 के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने अवलोकित किया कि वितरक द्वारा लॉटरी की जीत से प्राप्ति उसके द्वारा किये गये कोई शारीरिक अथवा बौधिक प्रयास के कारण नहीं है तथा इसलिए, उसके व्यापार में 'अर्जित आय' नहीं कहा जा सकता।

© The Institute of Chartered Accountants of India

बिना बिक्री लाटरी टिकट वितरक का व्यापारिक स्टॉक नहीं रहता क्योंकि ड्रा के पश्चात् यह टिकट बिना बिक्री की है तथा रद्दी कागज मूल्य के शिवाय कोई मूल्य नहीं रखती तथा वितरक किसी पुरस्कार जीत टिकट यदि उसके द्वारा धारित है जिसे यदि प्रस्तुत किया जाये तो पुरस्कार धन के रूप में हकदार बनायेगा के शिवाय टिकट के कारण कुछ प्राप्त नहीं करेगा।

अतएव, पुरस्कार धन की प्राप्ति उसकी लाटरी वितरक की क्षमता में नहीं है परन्तु लाटरी टिकट के धारक के रूप में है जिसने पुरस्कार को जीता है। लाटरी विभाग इसे वितरक द्वारा प्राप्त व्यापार आय के रूप में नहीं मानता है परन्तु इसकी बजाय इन्हें पुरस्कार राशि मानता है जिसे पर स्रोत पर कर कटौती की जाती है।

आगे, लॉटरी से जीत धारा 115BB की विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारणयोग्य है शीर्ष पर विचार किये बिना जिसमें आय आती है।

इसलिए केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 115BB के अन्तर्गत निर्धारित 30% की दर से उसके द्वारा धारित बिना बिक्री लॉटरी टिकट पर वितरक द्वारा प्राप्त पुरस्कार राशि जीत पर लागू होगी।

मामले पर केरल उच्च न्यायालय ने तर्क को लागू करते हुए, करनिर्धारण अधिकारी का धारा 115BB के अन्तर्गत निर्धारित दर पर उसके द्वारा धारित बिना बिक्री लॉटरी टिकट पर वितरक द्वारा प्राप्त पुरस्कार राशि पर कर लगाने का इरादा उचित है।

(d) विचाराधीन मुद्दा है क्या धारा 243B तथा 234C के अन्तर्गत ब्याज को लगाया जा सकता है जहां पर कम्पनी का करनिर्धारण धारा 115JB के अन्तर्गत इसके पुस्तलाभ के आधार पर करनिर्धारण किया जाता है।

उच्चतम न्यायालय ने Joint CIT *vs.* Rolta India Ltd. (2011) 330 ITR 470 में अवलोकित किया कि धारा 115JB(5) में विशिष्ट प्रावधान है जो यह प्रदान करता है कि आयकर अधिनियम, 1961 के सभी अन्य प्रावधान उस धारा में वर्णित प्रत्येक करनिर्धारी जो कम्पनी पर लागू होंगे। धारा 115JB, न्यूनतम वैकल्पिक कर से संबंधित स्वयं समाहित संहिता है तथा उसके उपधारा (5) के कारण अग्रिम कर के भुगतान का दायित्व बनेगा।

धारा 207 के अनुसार, करनिर्धारी की कुल आय जो वित्तीय वर्ष के एकदम बाद करनिर्धारण वर्ष के लिए कर के लिए वसूलीयोग्य के संबंध में धारा 208 से 219 (दोनों सम्मिलित हैं) के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम में भुगतानयोग्य होगा।

धारा 115JB(1) के अन्तर्गत, जहां पर कुल आय पर भुगतानयोग्य कर एक कम्पनी का "पुस्त लाभ" का 18.5% से कम है, 'पुस्त लाभ' को कुल आय माना जायेगा तथा कर 18.5% की दर से भुगतानयोग्य होगा।

क्योंकि इस प्रकार के मामले में, पुस्त लाभ को कुल आय माना गया है, इसलिए, धारा 207 के प्रावधान के अनुसार, कर इस प्रकार का पुस्त लाभ (जिसे कुल आय भी माना है) के संबंध में अग्रिम में भुगतानयोग्य होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इसलिए, यदि कम्पनी धारा 115JB के अन्तर्गत भुगतानयोग्य कर के संबंध में अग्रिम कर के भुगतान में चूक करती है यह धारा 234B तथा 234D के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान के लिए दायी होगा।

इसलिए, चाहे Maitri Jeans (P) Ltd. को करनिर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए धारा 115JB के अन्तर्गत इसके पुस्त लाभ के आधार पर करनिर्धारित किया है यह अग्रिम के भुगतान के लिए दायी है। क्योंकि Maitri Jeans (P) Ltd. ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया, धारा 234B तथा 234C के अन्तर्गत ब्याज का लगाना वैध है।

(e) विचाराधीन विषय है क्या धारा 271(1)(C) के अन्तर्गत दंड लगेगा यदि करनिर्धारी ने अपनी आय की विवरणी में ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए किया प्रावधान की कटौती का गलत ढंग से दावा किया है, यद्यपि उसे धारा 44AB के अन्तर्गत कर अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ फाइल विवरण का वक्तव्य में धारा 40A(7) के अन्तर्गत अस्वीकृत के रूप में दिखाया है।

Price Waterhouse Coopers Pvt. Ltd. *vs.* CIT (2012) 348 ITR 306 में उच्चतम न्यायालय के सम्मुख मुद्दा आया। उच्चतम न्यायालय ने अवलोकित किया कि तथ्य कि विवरणी के साथ फाइल कर अंकेक्षण रिपोर्ट स्पष्ट रूप से वर्णित करती है कि ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान धारा 40A(7) के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं था जो संकेत देता है कि करनिर्धारी ने अपनी आय की विवरणी में गणनात्मक त्रुटि की है।

धारा 271(1)(c) के अन्तर्गत दंड आय का विवरण को छुपाने के लिए अथवा किसी व्यक्ति द्वारा आय का गलत विवरण को देने के लिए लगता है कर अंकेक्षण रिपोर्ट की विषय सूची दिखाती है कि करनिर्धारी का आय को छुपाने अथवा गलत विवरण देने का कोई प्रश्न नहीं था।

तथ्यों से यह विदित है कि, करनिर्धारी ने एक अनजाने में तथा वास्तविक गलती की है तथा उसका आय को छुपाने अथव गलत विवरण को देने का नाही तो कोई इरादा था ना ही प्रयास।

इसलिए, धारा 271(1)(c) के अन्तर्गत दंड कार्यवाही को आरंभ करने की करनिर्धारण अधिकारी की कार्यवाही सही नहीं है।

नोट – प्रश्न 4 के सभी उपभाग के उत्तर कानून की व्याख्या पर आधारित है। उपरोक्त दिये गये उत्तर विशेष कानूनी निर्णय पर आधारित हैं जहां पर मामले के तथ्य तथा विचाराधीन मुद्दे प्रश्न में दिये गये तथ्य तथा मुद्दों के समान है। यद्यपि, इसमें से कुछ प्रश्न का उत्तर देना अन्य मुकदमें के आधार पर संभव है जहां पर तथ्य तथा मुद्दे एक जैसे हैं।

प्रश्न 5

(a) श्री रमेश ने जून, 2015 में ₹ 50 लाख में चेन्नई में जमीन का प्लांट का क्रय किया। उसने श्री महेश को ₹ 80 लाख में सम्पत्ति को बेचने का निर्णय लिया तथा मई 2009 में ₹ 2 लाख का अग्रिम प्राप्त किया। श्री महेश समझौते को पूर्ण करने में असमर्थ था तथा अतएव रमेश द्वारा समस्त अग्रिम को जब्त कर लिया।

© The Institute of Chartered Accountants of India

फिर से श्री रमेश ने श्री राकेश को ₹ 95 लाख में सम्पत्ति को बेचने का समझौता किया तथा अगस्त 2014 में ₹ 2.50 लाख की अग्रिम राशि को प्राप्त किया। परन्तु फिर से अंतरण साकार नहीं हुआ जिसके कारण फिर से अग्रिम राशि को जब्त कर लिया गया।

4 जनवरी, 2015 को अंततः सम्पत्ति को श्री मुकेश को ₹ 105 लाख में बेंचा तथा उस तिथि को स्टाम्प ड्यूटी मूल्य ₹ 125 लाख था। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान श्री रमेश ने ₹ 25 लाख की आय को अर्जित किया।

उसने समस्त बिक्री प्रतिफल तथा व्यापार आय को निवेशित कर ₹ 130 लाख में एक नयी आवासीय सम्पत्ति को अधिगृहीत किया।

करनिर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए श्री रमेश की कुल आय का निर्धारण करें।

लागू मुद्रास्फीति सूचकांक हैं :

वित्तीय वर्ष	लागत मुद्रास्फीति सूचकांक
2005-06	497
2009-10	632
2014-15	1024

(7 अंक)

(b) कारण सहित निर्दिष्ट करें क्या निम्न कार्यवाही को (i) कर योजना; अथवा (ii) कर प्रबन्धन अथवा (iii) कर चोरी माना जा सकता है।

(i) एक व्यक्ति (individual) करदाता एक राष्ट्रीयकृत बैंक में ₹ 1,00,000 का कर बचत जमा को करता है।

(ii) एक साझेदारी फर्म फॉर्म संख्या 15G/15H में ऋणदाता/जमाकर्ता से घोषणा प्राप्त कर रही है तथा उसे आयकर प्राधिकरण को अग्रेषित करती है।

(iii) एक कम्पनी ने नियुक्ति की शर्तों के अनुसार एक निदेशक के निवास पर ₹ 75,000 की लागत का एयर कंडीशनर स्थापित किया परन्तु इसे फैक्टरी में गुणवत्ता नियंत्रण खंड में स्थापित किया माना। इसका उद्देश्य इसे ह्रास की गणना के उद्देश्य के लिए प्लांट के रूप में मानना है।

(iv) RR Ltd. ने श्री रमन जो कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का पुत्र है को भुगतानयोग्य दलाली के रूप में ₹ 80,000 का क्रेडिट नोट जारी किया। उद्देश्य श्री रमना की आय को ₹ 4,00,000 से ₹ 4,80,000 तक बढ़ाना तथा तदानुरूप RR Ltd. की आय को घटाना है।

(v) एक कम्पनी भविष्य निधि अंशदान दोनों स्वयं का अंशदान तथा कर्मचारी अंशदान को देय तिथि से पूर्व वार्षिक आधार पर प्रेषित करती है। (5 अंक)

(c) श्री अमित की व्यापार परिसर अधिनियम की धारा 133A के अन्तर्गत सर्वेक्षण के तहत है। सर्वेक्षण के समय पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री को पाया गया। करनिर्धारी को पहले के वर्षों की करनिर्धारण को पुनः खोलने की शंका है। वह जानना चाहता है कि क्या वह निपटारा आयोग को प्रस्ताव कर सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

संक्षेप में संतुष्ट की जाने वाली मूल शर्त तथा निपटारा आयोग को प्रस्ताव कर श्री अमित को उपार्जित लाभ को स्पष्ट करें। (4 अंक)

उत्तर

(a) करनिर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए श्री रमेश की कुल आय की गणना

विवरण	लाख ₹ में	लाख ₹ में
व्यापार आय		25.00
पूंजीगत लाभ		
प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	125.00	
धारा 50C के अनुसार, प्रतिफल का पूर्ण मूल्य निम्न में से अधिक होगा :		
वास्तविक प्रतिफल ₹ 105 लाख		
स्टेम्प ड्यूटी मूल्य ₹ 125 लाख		
घटायें: अधिगृहण की सूचकांक लागत **(नोट 1 देखें)**	98.90	
	26.10	
घटायें: धारा 54F के अन्तर्गत विमुक्ति **(नोट 2 देखें)**	26.10	
दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ		शून्य
अन्य स्रोत से आय **(नोट 3 देखें)**		2.50
कुल आय		**27.50**

नोट :

(1) **अधिगृहण की सूचकांक लागत की गणना**

विवरण	लाख ₹ में
अधिगृहण की लागत	50.00
घटायें : गत वर्ष 2009–10 में श्री महेश से प्राप्त अग्रिम तथा जब्त किया (धारा 51 के अनुसार अधिगृहण की लागत से घटाया जायेगा, क्योंकि उसे 1.4.2014 से पूर्व प्राप्त किया।)	2.00
सूचकांक के उद्देश्य के लिए लागत	48.00
अधिगृहण की सूचकांक लागत (₹ 48 लाख × 1024/497)	98.90

(2) जब पूंजीगत लाभ का निर्धारण धारा 50C के प्रावधान के अनुसार नोशनल आधार पर किया जाता है, तथा उच्च मूल्य अर्थात् धारा 50C के अन्तर्गत ₹ 125 लाख का स्टाम्प ड्यूटी मूल्य को प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में अपनाया है, निर्धारित अवधि के अंदर आवासीय गृह में पुनः निवेशित ₹ 130 लाख की समस्त राशि को धारा

© The Institute of Chartered Accountants of India

54F के अन्तर्गत विमुक्ति के उद्देश्य के लिए विचार किया जायेगा, इस प्रकार की पुनः निवेश के लिए फंड के स्रोत पर विचार किये बिना [Gouli Mahadevappa *vs.* ITO (2013) 356 ITR 90 (Kar.)]।

इस मामले में, क्योंकि अधिगृहीत नयी आवासीय सम्पत्ति की लागत (₹ 130 लाख) अंतरित जमीन की ₹ 125 लाख की स्टाम्प ड्यूटी से अधिक है, ₹ 26.10 लाख का समस्त पूंजीगत लाभ धारा 54F के अन्तर्गत विमुक्त होगा।

(3) अगस्त 2014 में श्री राकेश से भी रमेश द्वारा प्राप्त ₹ 2.50 लाख का अग्रिम जिसे अंतरण का साकार ना होने के कारण जब्त किया था शीर्ष 'अन्य स्रोत से आय' के अन्तर्गत धारा 56(2)(ix) के अनुसार करयोग्य है क्योंकि उसे 1 अप्रैल 2014 को अथवा उसके पश्चात् प्राप्त किया अतएव सम्पत्ति की बिक्री पर पूंजीगत लाभ का निर्धारण करते हुए अधिगृहण की सूचकांक की लागत की गणना में घटाया नहीं जायेगा।

(b) कर योजना/कर प्रबन्धन/कर चोरी

	उत्तर	कारण
1.	कर योजना	एक व्यक्ति द्वारा धारा 80C के अन्तर्गत कटौती का दावा के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक में ₹ 1,00,000 का कर बचत जमा आयकर कानून के प्रावधान के अन्तर्गत कर योजना कदम है।
2.	कर प्रबन्धन	एक साझेदारी फर्म द्वारा फॉर्म संख्या 15G/15H ऋणदाता/जमाकर्ता से घोषणा प्राप्त करना तथा उन्हें आय कर प्राधिकरण को अग्रिषित करना आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत वैधानिक दायित्व की अनुपालना की प्रकृति में है।
3.	कर चोरी	नियुक्ति की शर्त के अनुसार एक निदेशक के निवास पर स्थापित एक एअर कंडीशनर 10% की दर से ह्रास के लिए अहर्ता प्राप्त फर्नीचर होगा जबकि एक कारखाना में स्थापित एक एअर कंडीशनर 15% की दर से उच्च ह्रास के लिए अहर्ता प्राप्त प्लांट होगा। यह उपचार अनुचित रूप से ह्रास की राशि को बढ़ाता है तथा परिणामतः लाभ को तथा परिणामतः कर दायित्व को घटाता है। फैक्टरी पर स्थापित प्लांट के रूप में निदेशक के निवास पर स्थापित एअर कंडीशनर का उपचार कर की चोरी के प्रयास के साथ असत्य विवरण को देना माना जायेगा।
4.	कर चोरी	प्रबन्ध निदेशक के पुत्र श्री रमण को भुगतानयोग्य दलाली के रूप में RR Ltd. द्वारा ₹ 80,000 का क्रेडिट नोट जारी कर रमण की कुल आय ₹ 4 लाख से बढ़कर ₹ 4.80 लाख तथा अनुरूप से कम्पनी की कुल आय को कम करना एक कृत्रिम सौदे को रिकॉर्ड द्वारा कम्पनी की कर दायित्व को घटाना का तरीका है। कम्पनी 30% की सम दर पर कर के लिए दायी है जबकि श्री

© The Institute of Chartered Accountants of India

		रमण ₹ 2,50,000 की मूल विमुक्ति सीमा के ऊपर 10% की दर से कर के भुगतान के लिए दायी है क्योंकि उसकी आय ₹ 5,00,000 से अधिक नहीं है। आगे, श्री रमण धारा 87A के अन्तर्गत ₹ 2,000 की छूट के लिए भी पात्र होगा। कृत्रिम सौदे की रिकॉर्डिंग के द्वारा कर दायित्व को घटाना कर चोरी माना जायेगा।
5.	कर प्रबन्धन	देय तिथि से पूर्व मासिक आधार पर भविष्य निधि में स्वयं के अंशदान तथा कर्मचारी के अंशदान को प्रेषित करना वैधानिक दायित्व की उपयुक्त अनुपालना है।

(c) एक कर निर्धारिती उससे संबंधित एक मामला (case) के किसी चरण पर धारा 245C के अन्तर्गत निपटारा आयोग को निर्धारित स्वरूप तथा तरीका में आवेदन कर सकता है। मामला (case) का अर्थ करनिर्धारण के लिए कार्य नहीं है। जिस तिथि पर आवेदन किया है। इसलिए, धारा 245C के अन्तर्गत निपटारा आयोग के सम्मुख आवेदन करने के लिए मूल शर्त है कि आवेदन करने की तिथि पर एक करनिर्धारण अधिकारी के सम्मुख करनिर्धारण के लिए कार्यवाही लंबित है।

धारा 147 के अन्तर्गत करनिर्धारण अथवा पुनः करनिर्धारण अथवा पुनः गणना के लिए कार्यवाही को तिथि से आरंभ माना जायेगा जिस पर धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस को जारी किया।

इस मामले में, श्री अमित केवल इस शंका के कारण कि पहले के वर्षों का करनिर्धारण को पुनः खोला जा सकता है, निपटारा आयोग के पास प्रस्ताव नहीं कर सकता, क्योंकि करनिर्धारण अधिकारी के सम्मुख कोई मामला लंबित नहीं है।

इसलिए उसे धारा 148 के अन्तर्गत करनिर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस को जारी करने की प्रतीक्षा करनी होगी उसके पश्चात् वह धारा 245C के अन्तर्गत निपटारा आयोग को आवेदन कर सकता है क्योंकि उस तिथि को करनिर्धारण अधिकारी के सम्मुख मामला (case) लंबित होगा।

एक अन्य संतुष्ट की जाने वाली मूल शर्त है कि आवेदन में प्रकट आय पर भुगतानयोग्य आय कर की अतिरिक्त राशि ₹ 10 लाख से अधिक होनी चाहिए तथा इस प्रकार का कर तथा उस पर ब्याज जिसका भुगतान किया जाता यदि आवेदन में प्रकट आय को आय की विवरणी में घोषित किया जाता के आवेदन करने की तिथि अथवा उससे पूर्व भुगतान कर दिया तथा इस प्रकार के भुगतान के साक्ष्य को आवेदन के साथ संलग्न करना चाहिए।

यदि निपटारा आयोग संतुष्ट है कि श्री अमित ने कार्यवाही में सहयोग किया तथा अपनी आय का सत्य तथा पूर्ण प्रकटीकरण किया तथा तरीका जिसमें इसे प्राप्त किया को सही ढंग से प्रकट किया, यह इस प्रकार की शर्त जैसा यह लगाना उचित समझें श्री अमित कोः

(i) आयकर अधिनियम/धन कर अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए अभियोजन से प्रति रक्षा प्रदान कर सकती है, जहां पर इस प्रकार का अभियोजन के

© The Institute of Chartered Accountants of India

लिए कार्यवाही को धारा 245C के अन्तर्गत आवेदन की प्राप्ति की तिथि अथवा उसके पश्चात् चलाया गया है; तथा

(ii) निपटारा द्वारा कवर मामला के संबंध में यातो पूर्ण रूप से अथवा भाग में आयकर अधिनियम के अन्तर्गत दंड के लगाने से प्रति रक्षा प्रदान करता है।

यह लाभ है जो श्री अमित को हो सकता है यदि वह निपटारा आयोग को प्रस्ताव करता है।

प्रश्न 6

(a) UK की Macline Cola Co. ने तीन भारतीय कम्पनियों ABC Ltd., Pepsi Co. Ltd. तथा Coca Cola Ltd. के साथ Know How की आपूर्ति के लिए संविदा किया। Macline Cola Co. ने अपने पर लागू प्राप्ति पर विद होल्डिंग कर की दर पर अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (Authority for Advance Ruling) को आवेदन किया।

साथ में, Coco Cola Ltd. ने दर जिस पर गैर–निवासी कम्पनी अर्थात् Macline Cole Co. को किये भुगतान पर कर कटौतीयोग्य है के निर्धारण के लिए करनिर्धारण अधिकारी को आवेदन किया।

अग्रिम आदेश के लिए प्राधिकरण ने इस आधार पर Macline Cola Co. पर आवेदन को निरस्त किया कि आवेदन में उठाया प्रश्न एक आयकर प्राधिकरण के सम्मुख आवेदन लंबित है।

स्पष्ट करें क्या AAR द्वारा आदेश का निरस्त करना कानून में उचित है? (4 अंक)

(b) आयकर अपीलीय अधिकरण ने 4.01.2010 को करनिर्धारी द्वारा प्रार्थना करने पर राहत को प्रदान करते हुए आदेश पारित किया। दिसंबर, 2013 ने अधिकरण ने रिकॉर्ड से प्रकट त्रृटि को पाया तथा तुरंत त्रुटि को सुधारा तथा आदेश को पारित किया।

क्या अधिकरण द्वारा पारित आदेश परिसीमन के द्वारा बाधित है ?

आपका उत्तर क्या होगा यदि त्रुटि की करनिर्धारण अधिकारी द्वारा पहचान की गयी जिसने दिसंबर, 2013 में सुधार याचिका को फाइल किया तथा अधिकरण ने दिसम्बर, 2015 में सुधार आदेश को पारित किया ? (4 अंक)

(c) Bhajan Ltd. का करनिर्धारण विवरणी आय में ₹ 15 लाख की जोड़ के साथ धारा 143(3) के अन्तर्गत पूर्ण हुआ। करनिर्धारी कम्पनी ने आयुक्त के सम्मुख अपील को किया जो अवलंबित है।

(i) नयी सूचना पर आधारित कि उसी करनिर्धारण वर्ष के लिए आय का बचाव है, करनिर्धारण अधिकारी पुनः करनिर्धारण कार्यवाही को आरंभ कर सकता है जब अपील आयुक्त (अपील) के सम्मुख लंबित है ?

(ii) क्या करनिर्धारण अधिकारी अपील की विषय वस्तु नहीं है वाले मुद्दे के संबंध में त्रुटि की सुधार के लिए धारा 154 के अन्तर्गत आदेश को पारित कर सकते हैं ?

(iii) क्या अपील में मामले के अतिरिक्त मामले के संबंध में धारा 264 के अन्तर्गत करनिर्धारी कम्पनी पुनरीक्षण की मांग कर सकती है ?

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iv) क्या आयुक्त अपील तथा अन्य मामले में कवर मामले के संबंध में दोनों के लिए धारा 243 के अन्तर्गत पुनरीक्षण कर सकता है (8 अंक)

उत्तर

(a) अग्रिम आदेश के लिए प्राधिकरण के सम्मुख फाइल आवेदन का स्वीकार करना अथवा अस्वीकृति से संबंधित मामले धारा 245R(e) का प्रथम उपबंध का वाक्य (i) में निर्दिष्ट आधार पर है। उक्त वाक्य प्रदान करता है कि प्राधिकरण आवेदन की आज्ञा नहीं देगा जहां पर आवेदन में उठाया प्रश्न पहले ही किसी आयकर प्राधिकरण अथवा अपीलीय अधिकरण अथवा किसी न्यायालय के सम्मुख लंबित है।

इस मामले में, AAR के साथ फाइल आवेदन में उठाया प्रश्न को उठाते हुए किसी आयकर प्राधिकरण/अपीलीय अधिकरण/न्यायालय के सम्मुख Macline Cola Co. जो विदेशी कम्पनी के द्वारा किसी आवेदन अथवा दलील को फाइल नहीं कियहा। यद्यपि, एक भारतीय कम्पनी Coco Cola Ltd. ने आवेदक की तरफ से नहीं अथवा आवेदक को लाभ पहुँचाने के लिए नहीं परन्तु स्वयं के हित को संरक्षित करने के लिए करनिर्धारण अधिकारी के सम्मुख प्रश्न को उठाया क्योंकि इसकी विदेशी कम्पनी को भुगतान से कर की उपयुक्त राशि की कटौती करने की वैधानिक कर्तव्य है। यद्यपि उठाया गया प्रश्न अनिवासी आवेदक को किया गया एक भुगतान अथवा किये जाने वाले भुगतान से संबंधित है, यह आवेदक के मामले में आयकर प्राधिकरण के सम्मुख निर्धारण से लंबित नहीं था।

इसलिए, जैसा Ericsson Telephone Corporation India AB *vs.* CIT (1997) 224 ITR 203 (AAR), में निर्णय किया, करनिर्धारण अधिकारी के सम्मुख भारतीय कम्पनी Coca Cola Ltd. द्वारा फाइल आवेदन को विदेशी कम्पनी Macline Coco Co. द्वारा फाइल किया नहीं माना जा सकता।

अतएव, AAR द्वारा Macline Cola Co. के आवेदन की इस आधार पर अस्वीकृत की आवेदन में उठाया प्रश्न पहले से ही आयकर प्राधिकरण के सम्मुख लंबित है उचित नहीं है।

(b) धारा 254(2), त्रृटियों की सुधार के लिए आदेश को पारित करने के लिए अपीलीय अधिकरण के अधिकार से डील करता है दो भाग में है। प्रथम भाग अपीलीय अधिकरण की सुधार का स्वयं के अधिकार को संदर्भित करता है जबकि द्वितीय भाग अपीलीय अधिकरण के ध्यान में रिकॉर्ड से प्रकट किसी त्रुटि को लाने के लिए करनिर्धारी अथवा करनिर्धारण अधिकारी के द्वारा फाइल आवेदन पर सुधार को संदर्भित करता है।

यदि आयकर अपीलीय अधिकरण स्वयं से अपने आदेश में सुधार करता है, तब आदेश को सुधारने वाले आदेश की तिथि से 4 वर्ष के अंदर पारित करना होगा। इस मामले में क्योंकि सुधार आदेश को दिसंबर, 2013 में पारित किया है अर्थात् 4.1.2010 जो कि सुधारने वाले आदेश की तिथि है से 4 वर्ष के अंदर अधिकरण द्वारा पारित सुधार आदेश परिसीमा द्वारा बाधित नहीं है।

जहां पर सुधार के लिए आवेदन को करनिर्धारण अधिकारी करनिर्धारी द्वारा सुधार के लिए आदेश की तिथि से 4 वर्षों के अंदर किया जाता है, अपीलीय अधिकरण गुणों पर आवेदन का निर्णय देने के लिए बाध्य है तथा नाकि परिसीमन के आधार पर अर्थात् आदेश को

© The Institute of Chartered Accountants of India

पुनरीक्षण की मांग किये जाने वाले आदेश की तिथि से 4 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पारित किया जा सकता है। यद्यपि, सुधार के लिए आवेदन को 4 वर्षों के पश्चात् देरी से करनिर्धारण अधिकारी द्वारा फाइल नहीं किया जा सकता [Ajith Kumar Pitaliya *vs.* ITO (2008) 167 Taxmann 24 (M.P.)]।

इस मामले में, क्योंकि करनिर्धारण अधिकारी द्वारा सुधार याचिका को 4 वर्षों की समाप्ति से पूर्व फाइल किया, अधिकरण द्वारा पारित सुधार आदेश वैध है चाहे आदेश को 4 वर्ष की अवधि के पश्चात् पारित किया।

(c) **(i)** धारा 147 के तृतीय उपबंध के अनुसार, करनिर्धारण अधिकारी मामले जो किसी अपील, संदर्भ अथवा पुनरीक्षण की विषय वस्तु है में लिप्त आय को छोड़कर इस प्रकार की आय का निर्धारण अथवा पुनर्निधारण कर सकता है जो कर से वसूलीयोग्य है तथा करनिर्धारण से बच गया है। आंशिक विलय का सिद्धांत इस मामले में लागू होगा।

इसलिए, चाहे आयुक्त अपील के सम्मुख अपील लंबित है, करनिर्धारण अधिकारी कर से वसूलीयोग्य आय जो करनिर्धारण से बच गयी है के संबंध में पुनः करनिर्धारण की कार्यवाही को आरंभ कर सकता है बशर्ते इस प्रकार की आय आयुक्त (अपील) के सम्मुख अपील की विषय वस्तु नहीं है अर्थात् इस प्रकार की आय जो करनिर्धारण से बच गयी है विवरणी आय का ₹ 15 लाख का जोड़ का भाग नहीं है जो अपील की विषय वस्तु है।

(ii) धारा 154(1A) के अनुसार, करनिर्धारण अधिकारी रिकॉर्ड से प्रकट त्रुटि को सुधारने के लिए धारा 154(1) के अन्तर्गत आदेश को पारित कर सकता है वशर्ते सुधार एक मामला जिसका आयुक्त (अपील) के सम्मुख विचार किया तथा निर्णय लिया को छोड़कर एक मामले के संबंध में है। आंशिक विलय का सिद्धांत धारा 154 के लिए भी ठीक बैठता है।

क्योंकि विचाराधीन मामला एक मामला जो अपील की विषय–वस्तु नहीं है के संबंध में त्रुटि के सुधार से संबंधित है, करनिर्धारण अधिकारी उसके सुधार के लिए धारा 154 के अन्तर्गत आदेश को पारित कर सकता है वशर्ते यह रिकॉर्ड से प्रकट यह त्रुटि है।

(iii) धारा 264(4) के अनुसार, आयुक्त धारा 264 के अन्तर्गत किसी आदेश को पुनरीक्षण नहीं करेगा जहां पर आदेश को आयुक्त (अपील) को अपील का विषय बनाया गया है। इसलिए, धारा 264 के मामले में कुल विलय की अवधारणा लागू होगी।

इसलिए, धारा 264 के अन्तर्गत, आयुक्त एक आदेश को पुनरीक्षित नहीं कर सकता जो आयुक्त अपील के सम्मुख लंबित है चाहे यदि पुनरीक्षण अपील में कवर मामले के अतिरिक्त मामलों से संबंधित है।

(iv) धारा 263 के अनुसार आयुक्त के पास राजस्व का पूर्वाग्रह का आदेश को पुनरीक्षण करने का अधिकार है चाहे यदि आदेश आयुक्त (अपील) के सम्मुख अपील की विषय–वस्तु है। यद्यपि धारा 263 के अन्तर्गत आयुक्त का आदेश केवल उस प्रकार

© The Institute of Chartered Accountants of India

के मामले तक बढ़ेगा क्योंकि इस प्रकार की अपील में विचार तथा निर्णय नहीं लिया गया। यहां पर फिर से आंशिक विलय का सिद्धांत लागू होगा।

एक मामले में जहां पर अपील लंबित है परन्तु फिर भी निर्णय नहीं लिया आयुक्त उन मुद्दों के संबंध में अपनी पुनरीक्षण न्यायक्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकता जो अपील की विषय–वस्तु है [CWT *vs.* Sampathmal Chordia (2002) 256 ITR 440 (Mad.)]।

प्रश्न 7

(a) Apple Iron Ltd. ने स्रोत पर कर कटौती किये बिना 1.8.2014 को एक वकील को उसके द्वारा कम्पनी को प्रदान पेशेवर सेवा के लिए ₹ 10 लाख का भुगतान किया। फिर से 31.12.2014 को ₹ 5 लाख का भुगतान देय था। कम्पनी ने 31.12.2014 को भुगतान करने से पूर्व ₹ 15 लाख की समस्त राशि पर कर कटौती की।

यद्यपि कम्पनी द्वारा 30 मार्च 2015 को स्रोत पर की गयी कर कटौती को प्रेषित किया।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 201(1A) के अन्तर्गत वसूलीयोग्य ब्याज की गणना करें। (4 अंक)

(b) निम्न वर्णित मामले में कर निर्धारिती द्वारा किये गये दावा का सही होने का परीक्षण करें :

श्री जॉनी की वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ₹ 4,28,000 की व्यापारिक आय तथा ₹ 1,30,000 की वेतन आय है। उसी अवयस्क पुत्र की उसी वर्ष के लिए ₹ 1 लाख की कृषि आय है। करनिर्धारण अधिकारी ने भी जॉनी की आयकर दायित्व के निर्धारण के लिए अवयस्क पुत्र की कृषि आय को क्लब किया।

श्री जानी की दलील है कि धारा 10(1) के अन्तर्गत कृषि आय विमुक्त है तथा धारा 2(24) के द्वारा कवर नहीं है तथा अतएव, उच्च आयकर दर को अपनाने के लिए क्लब भी नहीं किया जाना चाहिए। (4 अंक)

(c) निम्न मामलों में स्रोत पर कर कटौती प्रावधान की करयोग्यता तथा लागू होने के बारे में परीक्षण करें :

(i) एक निवासी सुश्री सोनी ने 1.11.2005 को ली अपने जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर 31.10.2014 को ₹ 3,80,000 को प्राप्त किया। बीमित राशि ₹ 2,00,000 है तथा वार्षिक प्रीमियम ₹ 45,000 है।

(ii) एक निवासी सुश्री पूजा ने 10.4.2010 को अपनी जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर 1.5.2014 को ₹ 1,20,000 प्राप्त किया। बीमित राशि ₹ 1,00,000 है तथा वार्षिक प्रीमियम ₹ 32,000 है।

(d) SBC Ltd. का करनिर्धारण धारा 143(3) के अन्तर्गत पूर्ण हुआ तथा करनिर्धारण वर्ष 2013–14 के लिए धारा 156 के अन्तर्गत ₹ 13 लाख का मांग का नोटिस को जारी किया जो कम्पनी को मांग को 30 दिवस के अंदर भुगतान करने के लिए कहता है।

आयुक्त (अपील) के सम्मुख अपील पर मांग को ₹ 10 लाख तक कम कर दिया। क्या करनिर्धारण अधिकारी को कर वसूली कार्यवाही को जारी रखने के लिए मांग का नये नोटिस को जारी करने की आवश्यकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

आपका उत्तर क्या होगा यदि आयुक्त (अपील) ने आय को बढ़ाया तथा परिणामतः कर मांग ₹ 15 लाख है अर्थात् ₹ 2 लाख की वृद्धि है? (4 अंक)

उत्तर

(a) धारा 201(1A) के अन्तर्गत वसूलीयोग्य ब्याज की गणना

धारा 201(1A) के प्रावधान के अनुसार, यदि एक व्यक्ति जो स्रोत पर कर कटौती के लिए दायी है, अथवा इस प्रकार की कर कटौती करने के पश्चात् कर के भुगतान करने में विफल रहता है जैसा अधिनियम के द्वारा अथवा के अन्तर्गत आवश्यक है, यह साधारण ब्याज के भुगतान के लिए दायी है जो निम्न है :

तिथि जिस पर कर कटौतीयोग्य था से तिथि जिस पर कर की वास्तव में कटौती की गयी तक इस प्रकार के कर की राशि पर प्रत्येक माह अथवा माह के भाग के लिए 1% की दर से।

तिथि जिस पर इस प्रकार कर की कटौती की है तो तिथि जिस पर कर का वास्तविक भुगतान किया तक इस प्रकार कर की राशि पर प्रत्येक माह अथवा माह का भाग के लिए 1.5% की दर से।

इस मामले में, कर पेशेवर सेवा के लिए शुल्क के संबंध में धारा 194J के अन्तर्गत कर 10% की दर से कटौतीयोग्य है। ₹ 1 लाख (₹ 10 लाख का 10%) का कर 1.8.2014 को कटौतीयोग्य था परन्तु वास्तव में 31.12.2014 को कटौती की। ₹ 15 लाख का कर (₹ 15 लाख अर्थात् ₹ 10 लाख/₹ 5 लाख का 10%) को कटौती 31.12.2014 को की का भुगतान 30.3.2015 को किया क्योंकि कटौती तथा कर का जमा करने में देरी है धारा 201(1A) के अन्तर्गत कर लगेगा।

इसलिए दिये गये मामले में, धारा 201(1A) के अन्तर्गत ब्याज की गणना निम्न है :

विवरण	₹
कर कटौतीयोग्य परन्तु कटौती नहीं पर 1% अर्थात् 5 माह के लिए (1.8.2014 से 31.12.2014 तक) के लिए ₹ 1,00,000 पर 1%	5,000
कर कटौती की परन्तु जमा नहीं की पर 1.5% अर्थात् 3 माह (31.12.2014 से 30.3.2015 तक) के लिए ₹ 1,50,000 पर 1.5%	6,750
धारा 201(1A) के अन्तर्गत भुगतानयोग्य कुल ब्याज	**11,750**

(b) इस मामले के तथ्य Suresh Chand Talera *vs.* Union of India (2006) 282 ITR (341) (M.P.) के जैसे हैं।

उस मामले में, उच्च न्यायालय ने अवलोकित किया कि धारा 2(24) के अन्तर्गत आय की परिभाषा सम्मिलित है तथा विस्तृत नहीं है। अतएव, तथ्य है कि कृषि आय को संदर्भित नहीं किया क्योंकि धारा 2(24) में मद में एक अर्थ नहीं है कि कृषि आय को शब्द 'आय' में सम्मिलित नहीं किया क्योंकि शब्द "आय" को अधिनियम में प्रयुक्त किया है।

धारा 10 प्रदान करता है कि एक व्यक्ति की गत वर्ष की आय की गणना में, उसने वर्णित किसी वाक्य में आने वाली आय को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। उसने वर्णित प्रथम

© The Institute of Chartered Accountants of India

वाक्य "कृषि आय" है। इसलिए धारा 10 यह स्पष्ट करती है कि कृषि आय आय है परन्तु उसमें व्यक्त प्रावधान के द्वारा कृषि आय को आयकर को लगाने के उद्देश्य के लिए करनिर्धारी की कुल आय से अलग किया।

यद्यपि, धारा 4(1) जो प्रभारित धारा है प्रदान करता है कि जब कि एक व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार किया जायेगा, दर जिस किसी करनिर्धारण वर्ष के लिए इस प्रकार की आय पर आय का भुगतान किया जायेगा को प्रासंगिक वित्त अधिनियम में वर्णित किया जायेगा। वार्षिक वित्त अधिनियम प्रदान करता है कि शुद्ध कृषि आय को करनिर्धारी की आय पर लागू आयकर की दर के निर्धारण के उद्देश्य के लिए उसमें प्रदान तरीके में हिसाब में लिया जायेगा।

इसलिए, कर निर्धारिती के अवयस्क बच्चे की कृषि आय को कर निर्धारिती की आय पर लागू आयकर की दर के निर्धारण के उद्देश्य के लिए कर निर्धारिती को आय में सम्मिलित किया जायेगा।

उपरोक्त निर्णय के तर्क को लागू करते हुए, श्री जॉनी की दलील गलत है। उसको अवयस्क पुत्र की कृषि आय को दर उद्देश्य के लिए श्री जॉनी की आय में सम्मिलित किया जायेगा क्योंकि शब्द "आय" जैसा उसकी अवयस्क बच्चे को उत्पन्न अथवा उपार्जित है को धारा 64(1A) में प्रयुक्त किया है में कृषि आय भी सम्मिलित है।

(c) 1 अक्टूबर, 2014 के प्रभाव से वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 द्वारा डाली धारा 194DA राशि जो धारा 10(10D) के अन्तर्गत विस्तृत है के अतिरिक्त बोनस के जरिये आबंटित राशि सहित एक जीवन बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत एक निवासी को भुगतानयोग्य किसी राशि पर 2% की दर से कर की कटौती को प्रदान करता है। इस प्रकार के कर की भुगतान के समय कटौती करनी होगी।

यद्यपि, कर की कटौती तब ही करनी होगी यदि एक कर निर्धारिती को एक वित्तीय वर्ष में भुगतान अथवा भुगतान का योग ₹ 1,00,000 अथवा अधिक है।

(i) इस मामले में, क्योंकि ₹ 45,000 का वार्षिक प्रीमियम ₹ 40,000 जो 1.4.2012 से पूर्व ली गयी पॉलिसी के संबंध में ₹ 2,00,000 की बीमित राशि का 20% है से अधिक है, 31.10.2014 को सुश्री सोनी द्वारा प्रात ₹ 3,00,000 की परिपक्वता राशि उसके हाथों में धारा 10(10D) के अन्तर्गत विमुक्त नहीं होगा।

क्योंकि सुश्री सोनी को भुगतान 1.10.2014 को अथवा उसके पश्चात् किया है, धारा 194DA का प्रावधान लागू होगा तथा 2% की दर से स्रोत पर कर कटौती करनी होगी।

(ii) इस मामले में, ₹ 32,000 की वार्षिक प्रीमियम ₹ 20,000 जो 1.4.2012 से पूर्ण ली गयी पॉलिसी के संबंध में ₹ 1,00,000 की बीमित राशि का 20% है तथा परिणामतः 1.5.2014 को प्राप्त ₹ 1,20,000 की परिपक्वता राशि सुश्री पूजा के हाथों में धारा 10(10D) के अन्तर्गत विमुक्त नहीं होगी।

यद्यपि, धारा 194DA के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती का प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि परिपक्वता राशि को 1.10.2014 से पूर्व प्राप्त किया।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इसलिए, इस मामले में धारा 194DA के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता नहीं है।

नोट—प्रश्न का उत्तर यह विचार करके दिया गया है कि सुश्री सोनी तथा सुश्री पूजा को उसके अन्तर्गत निर्दिष्ट तिथियों पर जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता राशि को "प्राप्त करने के लिए देय है। प्रश्न में शब्द 'प्राप्त' के उपयोग के कारण, यह उत्तर देना संभव है कि प्रथम मामले में सुश्री सोनी को भुगतान राशि का सकल के द्वारा धारा 194DA के अन्तर्गत प्रथम मामले (अर्थात् सुश्री सोनी को परिपक्वता राशि का भुगतान) में स्रोत पर कर कटौती की गणना की जायेगी।

(d) (i) आयुक्त (अपील) के आदेश में घटी मांग

करनिर्धारण अधिकारी द्वारा भाग का नये नोटिस को देने की आवश्यकता नहीं है। करनिर्धारण अधिकारी को SBC Ltd. को ₹ 10 लाख की मांग की कटौती के तथ्य की सूचना को देने की आवश्यकता है।

मांग का मूल नोटिस के आधार पर आरंभ कार्यवाही ₹ 10 लाख की घटी राशि के संबंध में उसी चरण से जारी रहेगी जिस पर इस प्रकार की कार्यवाही अपील के निपटारा से पूर्व थी।

(ii) आयुक्त अपील के आदेश में बढ़ी मांग

मांग के एक नये नोटिस को केवल ₹ 2 लाख जो बढ़ी राशि के संबंध में दिया जाता है।

SBC Ltd. को दिये गये मांग का मूल नोटिस के द्वारा कवर ₹ 13 लाख के संबंध में कोई कार्यवाही उसी चरण से जारी रहेगी जिस पर इस प्रकार की कार्यवाही अपील के निपटारा से पूर्व में।

नोट—धारा 220(1A) प्रदान करता है कि जहां पर मांग का नोटिस को करनिर्धारी को दिया है तथा किसी अपील अथवा कोई अन्य कार्यवाही जैसा भी मामला हो को मांग की उक्त नोटिस में निर्दिष्ट राशि के संबंध में फाइल अथवा आरंभ किया है, तब इस प्रकार की मांग को अंतिम अपीलीय प्राधिकरण के द्वारा अपील का निपटारा अथवा कार्यवाही का निपटारा जैसा भी मामला है एक वैध माना जायेगा तथा इस प्रकार मांग का नोटिस का वही प्रभाव होगा जैसा कराधान कानून (वसूली कार्यवाही का जारी रहना तथा वैधता) अधिनियम की धारा 3 में प्रदान किया है। उपरोक्त उत्तर धारा 220(1A) के प्रावधान जिसे कराधान कानून (वसूली कार्यवाही का जारी रहना तथा वैधता) अधिनियम, 1964 की धारा 3 के साथ पढ़ा जाये।

© The Institute of Chartered Accountants of India